



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

सीबीएसई/एलओसी/X-XII/2025-2026/

दिनांक: 27.08.2025

सेवा में,

प्रधानाचार्य,

सीबीएसई से संबद्ध सभी विद्यालय
(सीबीएसई वेबसाइट के माध्यम से)

यह कक्षा X और XII के उम्मीदवारों को प्रायोजित करने वाले सभी विद्यालयों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना है। सभी विद्यालय प्रमुखों से अनुरोध है कि वे इस परिपत्र में दिए गए सभी दिशानिर्देशों का पालन करें और 'उम्मीदवारों की सूची' में सही डेटा जमा करें।

विषय: कक्षा X (प्रथम परीक्षा) और कक्षा XII (मुख्य परीक्षा) - 2025-26 के लिए 'उम्मीदवारों की सूची' (एलओसी) जमा करने के संबंध में।

महोदया/महोदय,

कक्षा X और XII के लिए 'उम्मीदवारों की सूची' (एलओसी) जमा करना, हर साल बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है। इस परिपत्र में इस संबंध में विद्यालयों द्वारा की जाने वाली सभी आवश्यक कार्रवाइयों का विवरण दिया गया है, और इसे सुविधा के लिए IV भागों में विभाजित किया गया है। प्रधानाचार्यों से अनुरोध है कि वे प्रत्येक भाग को ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसे समझें और आवश्यक कार्रवाई शुरू करें, ताकि कक्षा X/XII के सभी उम्मीदवारों के लिए एलओसी को सही और समय पर जमा किया जा सके। सीबीएसई ने पहले ही एक परिपत्र (CBSE/LOC-Prior Information X-XI/2025-26/ दिनांक 30/07/2025) जारी किया था, जिसमें विद्यालयों को सभी उम्मीदवारों का सही डेटा और विषय संयोजन एकत्र करके एलओसी जमा करने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया था।

भाग I: एलओसी 2025-2026 में पहली बार शामिल किए गए प्रावधान

क. इस वर्ष, सीबीएसई ने कक्षा X के लिए 'दोपरीक्षा बोर्ड-' नीति लागू की है, जिसे परिपत्र CBSE/CE/2-Board Examinations-X/2025 दिनांक 26/6/2025 के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में जारी किया गया है। विद्यालयों से अनुरोध है कि वे इस नीति का अध्ययन करें और यह सुनिश्चित करें कि कक्षा X की परीक्षा में बैठने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए एलओसी तदनुसार ही प्रस्तुत की जाए। यह एक बार पुनः दोहराया जाता है कि कक्षा X के लिए फरवरी के मध्य में आयोजित होने वाली 'मुख्य परीक्षा' कक्षा X के सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है; अतः, सभी उम्मीदवारों के लिए एलओसी भरा जाना आवश्यक है।

ख. सीबीएसई ने कक्षा X और XII, दोनों की एलओसी डेटा प्रविष्टियों को उम्मीदवारों की 'APAAR ID' से जोड़ने का निर्णय लिया है।

(i). भारतीय विद्यालयों में APAAR

सीबीएसई ने इससे पूर्व परिपत्र संख्या CBSE/IT& Projects/APAAR ID/2025 दिनांक 24/01/2025 के माध्यम से स्कूलों को पहले ही सूचित किया जा चुका है कि भारत में सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के छात्रों के लिए 'APAAR ID' को 'प्राथमिक पहचानकर्ता' के रूप में लागू किया जाएगा। अतः, भारत में सीबीएसई से संबद्ध स्कूल केवल उन्हीं उम्मीदवारों





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

के लिए एलओसी भर सकेंगे, जिनके पास APAAR ID उपलब्ध है। एलओसी जमा करते समय, बोर्ड द्वारा भरी गई APAAR ID का सत्यापन किया जाएगा।

(ii). विदेशों में स्थित स्कूलों में APAAR

विदेशों में स्थित स्कूलों को विभिन्न प्रशासनिक कारणों और उन देशों के कानूनों की वजह से APAAR से छूट दी गई है।

ग. इस साल, शुल्क जमा करने के तरीके के आधार पर एलओसी जमा करने के लिए दो अनुसूची हैं। आखिरी तारीख की समस्या से बचने के लिए कृपया अनुलग्नक- ए(i) और ए(ii) में दिए गए दोनों अनुसूची देखें।

घ. साथ ही, दोनों आखिरी तारीखें अर्थात एलओसी जमा करने और शुल्क जमा करने की तारीखें एक ही हैं। इसका मतलब है कि शुल्क भी एलओसी जमा करने की आखिरी तारीख तक ही जमा करनी होगी। अगर शुल्क तय तारीख के बाद जमा की जाती है, तो विलंब शुल्क लागू होगा।

भाग II: स्कूलों द्वारा की जाने वाली तैयारी

स्कूलों को उन उम्मीदवारों की नीचे दी गई जानकारी के साथ तैयार रहना चाहिए जिनका डेटा एलओसी में भरा जाएगा:

- उम्मीदवार की निजी जानकारी, जैसे उम्मीदवार का सही नाम/पिता/ माता/अभिभावक का नाम/ जन्मतिथि ।
- APAAR ID (भारत में स्थित स्कूलों के लिए)।
- अध्ययन की योजना के अनुसार सही विषय कोड और विषयों का सही संयोजन (स्कूलों द्वारा इसकी दोबारा जाँच की जानी चाहिए)।
- जिस कैटेगरी में आवेदन किया जा रहा है - FS/ Improvement/ Compartment।
अनुलग्नक बी देखें।

छात्रों का सही डेटा और सही विषय जमा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

क. यह एलओसी कक्षा X की पहली परीक्षाओं के लिए है। पहली बोर्ड परीक्षा सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है। कक्षा X की दूसरी बोर्ड परीक्षा के लिए एलओसी, कक्षा X की पहली परीक्षा समाप्त होने के बाद कभी भी भरी जा सकती है।

ख. स्कूलों को कक्षा X के छात्रों और उनके माता-पिता के लिए एक विस्तृत अभिविन्यास (परिचय सत्र) आयोजित करना चाहिए, जिसमें उन्हें मई 2026 में बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली दूसरी बोर्ड परीक्षा के बारे में जानकारी दी जाए। इसके अलावा, छात्रों को यह भी बताया जाना चाहिए कि इस एलओसी में स्कूल द्वारा उम्मीदवारों के लिए जो विषय भरे गए हैं, उन्हीं विषयों को दूसरी बोर्ड परीक्षा के दौरान भी चुना जा सकता है। कृपया अनुलग्नक सी देखें।

ग. एलओसी भरने के काम में शामिल स्कूल के सभी कर्मचारियों जैसे कक्षा शिक्षक/ विषय प्रभारी/ समन्वयक/उप प्रधानाचार्य/ कार्यालय लिपिक/या कोई अन्य व्यक्ति को इस परिपत्र और आगे की कार्यप्रणाली के बारे में ठीक से जानकारी दी जानी चाहिए। स्कूलों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे एलओसी जमा करने का काम केवल एक ही अधिकारी को सौंपें, जो सही डेटा और विषयों को जमा करने की संवेदनशीलता, तथा निर्धारित समय-सारिणी का पालन करने के महत्व से भली-भांति परिचित हो।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

घ. कक्षा X और कक्षा XII के विद्यार्थियों के साथ एक ब्रीफिंग बैठक भी आयोजित की जा सकती है, जिसमें उन्हें निम्नलिखित बातों की जानकारी दी जाए: -

1. एलओसी में सही डेटा जमा करने का महत्व।
2. एलओसी में सही विषयों के नाम और कोड जमा करने का महत्व।
3. एलओसी में सही डेटा और सही विषय जमा करने में विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों की भूमिका और जिम्मेदारी।
4. एलओसी में गलत डेटा जमा करने के परिणाम।

2025-26 में कक्षा X और XII की बोर्ड परीक्षाओं में केवल उन्हीं छात्रों को बैठने की अनुमति दी जाएगी, जिनके नाम इस परिपत्र में बताए गए एलओसी जमा करने की ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जमा किए जाएंगे।

ड. ऑनलाइन जमा करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले सभी स्कूलों को पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी। स्कूल अपने 'संबद्धता संख्या' का उपयोग 'User ID' के रूप में करेंगे, जो उनके पास पहले से उपलब्ध है।

च. जिन नए संबद्ध स्कूलों को अभी तक अपना पासवर्ड या निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं, उन्हें इन्हें प्राप्त करने के लिए सीबीएसई के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। पासवर्ड प्राप्त होने पर, स्कूलों को सलाह दी जाती है कि वे भविष्य में उपयोग के लिए पासवर्ड बदल लें और दुरुपयोग से बचने के लिए इसे गोपनीय रखें। पासवर्ड की सुरक्षा बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी स्कूलों की होगी।

ज. बोर्ड "दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016" में परिभाषित दिव्यांग उम्मीदवारों को कई छूट/रियायतें प्रदान कर रहा है। इस संदर्भ में, स्कूल <https://www.CBSE.gov.in/CBSEnew/ExaminationCircular/2019/5CIRCULAR.pdf> लिंक पर उपलब्ध सूचनाओं को देख सकते हैं।

CWSN छात्रों की श्रेणी का चयन सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए और एलओसी में जमा किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि परीक्षाओं के दौरान लागू होने वाली छूट इन छात्रों को स्वचालित तरीके से प्रदान की जा सके।

इस वर्ष एलओसी में CWSN छात्रों के लिए नया क्या है?

इस वर्ष, CWSN छात्रों के लिए पोर्टल भी एलओसी के साथ ही उपलब्ध कराया जाएगा। हालाँकि, CWSN डेटा जमा करने की अंतिम तिथि, एलओसी जमा करने की अंतिम तिथि से पहले होगी। इसलिए, CWSN छात्रों का डेटा और रिकॉर्ड एकत्र करके पोर्टल पर जमा किया जाना चाहिए। जमा करने की अंतिम तिथि बीत जाने के बाद, स्कूल किसी अन्य उम्मीदवार को CWSN श्रेणी में नहीं जोड़ पाएंगे।

स्कूल यह सुनिश्चित करेंगे कि आवश्यक कार्रवाई और अनुमोदन प्राप्त करके ऐसे सभी छात्रों के नाम प्रायोजित किए जाएं। निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने और एलओसी जमा हो जाने के बाद, स्कूलों और छात्रों से प्राप्त किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

भाग III: एलओसी 2025-2026 के लिए उम्मीदवारों की पात्रता मानदंड

A. प्रधानाचार्यों/स्कूलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि: -





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

- i. प्रायोजित किए गए उम्मीदवार केवल उनके अपने नियमित और वास्तविक छात्र ही हों।
 - ii. किसी भी वास्तविक छात्र का नाम बिना स्पॉन्सरशिप के नहीं छोड़ा जाता है।
 - iii. छात्र किसी भी अनाधिकृत/गैर-संबद्ध स्कूल से नहीं होने चाहिए।
 - iv. छात्र स्कूल में नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित हो रहे हैं और बोर्ड के परीक्षा उप-नियमों के अनुसार न्यूनतम उपस्थिति मानदंडों को पूरा कर रहे हैं।
 - v. छात्र सीबीएसई के अलावा किसी अन्य स्कूल शिक्षा बोर्ड के साथ पंजीकृत नहीं हैं।
 - vi. छात्र परीक्षा उप-नियमों के प्रावधानों के अनुसार कक्षा X और XII की बोर्ड परीक्षाओं में बैठने के पात्र हैं।
 - vii. कक्षा XII के छात्रों के मामले में, यह पुष्टि करना अनिवार्य है कि उन्होंने अपनी कक्षा X की परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से ही, शैक्षणिक वर्ष 2024 या उससे पहले उत्तीर्ण की हो।
- ख. इस मुद्दे का सार यह है कि सीबीएसई के परीक्षा उप-नियमों के अनुसार जो छात्र पात्र हैं, केवल उन्हीं को बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रायोजित किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, आपका ध्यान संबद्धता उप-नियम-2018 के पैरा 14.2 के प्रावधानों की ओर भी आकर्षित किया जाता है।
- ये इस प्रकार हैं: -
- "प्रत्येक संबद्ध स्कूल के लिए यह अनिवार्य है कि वह बोर्ड के परीक्षा उप-नियमों का यथासंभव पालन करे।
- 14.2.1 प्रत्येक संबद्ध स्कूल शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के समय, बोर्ड द्वारा निर्धारित तरीके से, कक्षा IX, X, XI और XII के छात्रों की संख्या और उनके विवरण की एक सूची प्रस्तुत करेगा।
 - 14.2.2 कोई भी संबद्ध स्कूल बोर्ड की परीक्षा के लिए ऐसे उम्मीदवारों को प्रस्तुत नहीं करेगा जो उसके रोल (पंजीकरण सूची) पर नहीं हैं।
 - 14.2.3 कोई भी संबद्ध स्कूल बोर्ड की परीक्षा के लिए ऐसे उम्मीदवारों को पेश नहीं करेगा जो किसी गैर-संबद्ध स्कूल/शाखा में नामांकित हैं।
 - 14.2.4 कोई भी संबद्ध स्कूल बोर्ड की परीक्षा के लिए ऐसे उम्मीदवारों को पेश नहीं करेगा जो उसके रोल पर तो हैं, लेकिन उन्होंने स्कूल में नियमित रूप से उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है या जो बोर्ड की परीक्षा में बैठने के लिए आवश्यक न्यूनतम उपस्थिति की शर्त को पूरा नहीं करते हैं।
 - 14.2.5 प्रत्येक संबद्ध स्कूल अपने वास्तविक और पात्र छात्रों को बोर्ड की कक्षा X और कक्षा XII की परीक्षाओं के लिए, संबद्धता/उन्नयन प्रदान करते समय उल्लिखित वर्ष से, बिना किसी रुकावट के नियमित रूप से प्रायोजित करेगा; अथवा उम्मीदवारों को प्रायोजित न करने के संबंध में कारणों सहित लिखित सूचना समय रहते देगा।
 - 14.2.6 बोर्ड से संबद्ध स्कूल किसी अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय की परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को नहीं भेजेगा। यह केवल सीबीएसई की माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षाओं के लिए ही उम्मीदवारों को तैयार करेगा।"
- ग. सभी स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उम्मीदवारों की सूची जमा करने, कक्षाओं की उपलब्धता और शिक्षकों की उपलब्धता के संबंध में सीबीएसई के उप-नियमों/नियमों का पूरी



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

निष्ठा और भावना के साथ पालन किया जा रहा है। एक सेक्शन में 40 छात्रों की अनुमति है और सेक्शन-शिक्षक अनुपात 1:1.5 है। इसके अतिरिक्त, सेक्शनों की संख्या CBSE/Aff/Circular 2025/11/2025 दिनांक 21/7/2025 के परिपत्र द्वारा निर्देशित होती है।

www.cbse.gov.in/cbseew/documents/Circular_Exemption_School_Strength_23072025.pdf

घ. इसलिए, सभी स्कूलों को सलाह दी जाती है कि वे OASIS में डेटा को सावधानीपूर्वक भरें।

भाग IV: एलओसी 2025-2026 भरते समय स्कूलों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई

1. नए स्कूलों को: -

क. सबसे पहले, OASIS पोर्टल पर जानकारी दर्ज करना है।

ख. उसके बाद, वे HPE पोर्टल पर डेटा जमा करेंगे।

ऊपर दी गई गतिविधियाँ (a) और (b) पूरी करने के बाद, वे एलओसी डेटा जमा कर सकते हैं।

2. एलओसी जमा करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले, मौजूदा स्कूलों को OASIS और HPE पोर्टल पर डेटा अपडेट करना होगा।

3. OASIS पर जानकारी बहुत सावधानी से भरी जानी चाहिए, क्योंकि एलओसी जमा करने के बाद स्कूलों को छात्रों के घोषित सेक्शन/संख्या में बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी।

4. स्कूल द्वारा प्रायोजित छात्रों की संख्या, स्कूल में नियुक्त शिक्षकों की संख्या के अनुपात में होनी चाहिए। प्रत्येक विषय में प्रायोजित उम्मीदवारों की संख्या के अनुसार, मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को कार्यमुक्त करना स्कूल की ज़िम्मेदारी होगी। यदि स्कूल अपने शिक्षकों को कार्यमुक्त नहीं करते हैं, तो सीबीएसई स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का हकदार होगा, जिसमें उनके परिणाम घोषित न करना भी शामिल है।

5. स्कूल एलओसी डेटा को तभी अंतिम रूप दे पाएंगे, जब उन्होंने पहले HPE पोर्टल पर डेटा जमा कर दिया हो। HPE पोर्टल का लिंक सीबीएसई की वेबसाइट पर उपलब्ध है। HPE पोर्टल पर डेटा सफलतापूर्वक भरने के बाद एक पुष्टिकरण संख्या जनरेट होगी। स्कूलों से अनुरोध है कि वे भविष्य के संदर्भ के लिए इस पुष्टिकरण संख्या को सुरक्षित रखें।

6. केवल उन्हीं टीजीटी/पीजीटी को टीजीटी/पीजीटी के रूप में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए, जो क्रमशः कक्षा IX-X/XI-XII को पढ़ा रहे हैं, ताकि गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन के लिए योग्य परीक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित की जा सके। तदनुसार, OASIS में, शिक्षकों द्वारा पढ़ाई जाने वाली कक्षाओं की जानकारी स्कूलों द्वारा स्पष्ट रूप से भरी जानी चाहिए। जिन शिक्षकों ने स्कूल छोड़ दिया है, उनके नाम डेटा से हटा दिए जाएंगे। OASIS में डेटा को सही ढंग से अपडेट करना स्कूलों की ज़िम्मेदारी है। कक्षा IX और X को पढ़ाने वाले टीजीटी के मामले में, स्नातक में उनके द्वारा लिए गए विषय की जानकारी भरी जानी चाहिए।

7. यह सुनिश्चित किया जाए कि OASIS में सभी शिक्षकों के पूरे नाम भरे जाएं। संक्षिप्त शब्दों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यदि संक्षिप्त शब्दों का उपयोग किया जाता है, तो इसे स्कूलों द्वारा प्रदान किया गया गलत डेटा माना जाएगा। नामों के साथ कोई भी संबोधन आदि नहीं लगाया जाना चाहिए।





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

8. कृपया ध्यान दें कि कक्षा X और XII के लिए एलओसी जमा करते समय, स्कूलों को उन्हीं छात्रों का डेटा दिखाया जाएगा, जिसे उन्होंने पिछले वर्ष कक्षा IX और XI में पंजीकरण के लिए जमा किया था। स्कूलों को सलाह दी जाती है कि वे उन छात्रों को "हटा दें", जो स्थानांतरण या अन्य कारणों से स्कूल छोड़कर चले गए हैं। स्कूल, कक्षा X/XII में "सीधा प्रवेश" श्रेणी के तहत प्रवेश पाने वाले छात्रों को, बोर्ड के नियमों के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से उचित अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही जोड़ सकते हैं।

9. पिछले शैक्षणिक सत्र की कक्षा X/XII के जो छात्र अपनी-अपनी कक्षा में दोबारा प्रवेश लेना चाहते हैं, उन्हें पुनः-प्रवेश केस माना जाएगा। इन पर सीधा प्रवेश केस के लिए तय प्रक्रिया लागू होगी, और स्कूलों को इसी प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसका अर्थ है कि बोर्ड के नियमों के अनुसार, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से जरूरी मंजूरी लेनी होगी।

10. स्कूलों को एलओसी जमा करने की प्रक्रिया सिर्फ ऑनलाइन ही पूरी करनी होगी। एलओसी जमा करने वाले मॉड्यूल में डेटा भरने के लिए डाउनलोड की जा सकने वाली एक्सेल फ़ाइलों की सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि एलओसी में सिर्फ छोटे-मोटे सुधारों की ही अनुमति है।

11. जिन स्कूलों ने कक्षा IX/XI के रजिस्ट्रेशन के समय अपने छात्रों की फ़ोटो अपलोड नहीं की थीं, उन्हें एलओसी को अंतिम रूप से जमा करने से पहले वे फ़ोटो अपलोड करनी होंगी। नए मान्यता प्राप्त स्कूलों को भी अपने असली छात्रों की फ़ोटो अपलोड करनी होंगी। फ़ोटो अपलोड करने की सही प्रक्रिया **अनुलग्नक-ई** में दी गई है। स्कूलों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हर छात्र के सामने सही फ़ोटो ही अपलोड की गई हो।

12. परीक्षा उप-नियमों के नियम 6.1(a) (iii) के अनुसार, स्कूल यह सुनिश्चित करेगा कि किसी कक्षा में प्रवेश लेते समय, छात्र आयु सीमा (न्यूनतम और अधिकतम) की उस आवश्यकता को पूरा करता हो, जो राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित की गई है और उस स्थान पर लागू होती है जहाँ स्कूल स्थित है।

13. कई संगठन और राज्य छात्रों की आर्थिक स्थिति के आधार पर छात्रवृत्तियाँ प्रदान करते हैं। तदनुसार, माता-पिता की वार्षिक आय के बारे में जानकारी, जैसा कि उन्होंने स्वयं दी है, एकत्र की जा सकती है। स्कूलों को माता-पिता से आईटीआर/आय का अन्य कोई प्रमाण आदि मांगने की आवश्यकता नहीं है।

14. संबद्धता उप-नियमों के अनुसार, स्कूल कक्षा XI और XII में कोई भी शैक्षणिक विषय पढ़ा सकते हैं, सिवाय उन विषयों के जिनमें प्रयोगशाला कार्य की आवश्यकता होती है। जिन विषयों में प्रयोगशाला कार्य शामिल है, उनके लिए स्कूल को अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है, यदि वह पहले प्राप्त नहीं किया गया है। जिन शैक्षणिक विषयों में प्रयोगशाला कार्य की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें OASIS में अद्यतन करके पढ़ाया जा सकता है।

15. सीबीएसई परिपत्र संख्या ACAD-38/2021 के अनुसार, संबद्ध स्कूलों को किसी भी स्तर पर कौशल विषय शुरू करने के लिए किसी औपचारिक अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

16. अध्ययन योजना के अनुसार, बोर्ड ने विषयों के वैध/अवैध संयोजनों की एक सूची निर्धारित की है। स्कूलों को एलओसी में विषय भरने से पहले, **अनुलग्नक-एच** (कक्षा X के लिए) और **अनुलग्नक-के** (कक्षा XII के लिए) के अनुसार विषयों के संयोजन की जाँच कर लेनी चाहिए।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

17. सभी छात्रों का विवरण प्रत्येक शुल्क स्लैब के लिए केवल एक ही खेप में जमा किया जाना चाहिए। किसी एक शुल्क स्लैब में डेटा को आंशिक रूप से जमा करने की अनुमति नहीं होगी; इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक स्लॉट में, छात्रों की केवल एक ही सूची स्वीकार की जाएगी।

18. पिछले वर्षों में, स्कूलों को कक्षा X/XII के एलओसी के अंतिम रूप दिए गए डेटा की हस्ताक्षरित प्रति संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजनी पड़ती थी। वर्ष 2021 से आगे, इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। अब, एलओसी को उस प्रणाली पर अपलोड किया जाएगा जिसमें प्रधानाचार्य के आधार (Aadhaar) से जुड़ा हुआ ई-हस्ताक्षर उपलब्ध होगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि अपलोड किया गया डेटा पूरी तरह से सही हो, और इस संबंध में अभिभावकों/छात्रों/स्कूलों द्वारा अतिरिक्त सावधानियां बरती जाएं।

19. प्राइवेट/दूसरी बार कंपार्टमेंट परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन फॉर्म जमा करने का लिंक अलग से उपलब्ध कराया जाएगा।

20. ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया, निर्धारित अंतिम तिथियों को आधी रात 11:59 बजे बंद हो जाएगी। इसलिए, स्कूलों को सलाह दी जाती है कि वे एलओसी को ऑनलाइन जमा करने का काम समय रहते पूरा कर लें; ऐसा करने से, अंतिम दिन इंटरनेट पर भारी लोड के कारण कनेक्शन धीमा होने, सर्वर से जुड़ न पाने, या किसी अन्य कारण से होने वाली समस्याओं से बचा जा सकेगा।

21. प्रत्येक गतिविधि के लिए अंतिम तिथि निर्धारित है, और इस अंतिम तिथि को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अतः, स्कूलों से अनुरोध है कि वे निर्धारित तिथि और समय के भीतर ही संबंधित गतिविधि को पूरा कर लें।

22. एलओसी जमा करने के बाद, विषय बदलने, कक्षा X और XII में प्रवेश (स्थानांतरण मामलों को छोड़कर) और CWSN के लिए रियायतों के किसी भी अनुरोध पर बोर्ड विचार नहीं करेगा।

23. सीधे एडमिशन की आखिरी तारीख के बाद (नीति के अनुसार अनुमति प्राप्त मामलों को छोड़कर), विषय बदलना, सुधार, CWSN मामले, खेल छात्रों के मुद्दे और परीक्षा केंद्र बदलना, किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं होगी। स्कूलों और अभिभावकों से अनुरोध है कि वे इन निर्देशों का सख्ती से पालन करें।

24. किसी भी कठिनाई की स्थिति में, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। सीबीएसई ने अधिसूचना संख्या CBSE/Rectt.Cell/1-76/2025/8234-333 दिनांक 22.08.2025 के माध्यम से सूचित किया है कि बोर्ड के 04 नए क्षेत्रीय कार्यालयों को कार्यात्मक कर दिया गया है। बोर्ड के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र के संबंध में कृपया **अनुलग्नक एम** देखें।

एलओसी 2025-2026 भरते समय स्कूलों द्वारा बरती जाने वाली सावधानियाँ।

क. छात्र/माता/पिता/अभिभावक के नाम की वर्तनी सही होनी चाहिए और स्कूल द्वारा रखे गए प्रवेश और निकासी रजिस्टर के अनुसार होनी चाहिए।

ख. जन्म तिथि सही होनी चाहिए और स्कूल द्वारा रखे गए प्रवेश और निकासी रजिस्टर के अनुसार होनी चाहिए।

ग. विषय संयोजन सही होने चाहिए और अध्ययन योजना के अनुसार होने चाहिए।





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

संस्थानों के प्रमुख कृपया ध्यान दें

स्कूलों की ओर से सही डेटा जमा न करने के संबंध में ऐसे किसी भी बहाने पर विचार नहीं किया जाएगा: -

- (i). कि पंजीकरण का काम सौंपे गए क्लर्क के चाचा के निधन के कारण, वह प्रधानाचार्य को बिना किसी सूचना के स्टेशन छोड़कर चला गया,
- (ii). कि पंजीकरण के लिए जिम्मेदार शिक्षक की तबीयत ठीक नहीं थी या उसका कोई दुर्घटना हो गई थी, और इसलिए, पंजीकरण छूट गया।
- (iii). कि वेबसाइट काम नहीं कर रही थी
- (iv). कि छात्रों ने विवरण प्रदान नहीं किया है
- (v). कि कोई विशेष छात्र स्कूल नहीं आ रहा था, इसलिए उसका नाम छूट गया।
- (vi). स्कूल एलओसी की अंतिम जमा करने की तारीख भूल गया

प्रधानाचार्यों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई

सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया जाता है कि वे अंतिम तारीख से 7 दिन पहले से ही, हर दिन संबंधित शिक्षक/अधिकारी से एलओसी जमा करने और शुल्क भुगतान की स्थिति के बारे में रिपोर्ट लें। यह प्रिंसिपल की मुख्य जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी पात्र छात्रों का पंजीकरण सही डेटा के साथ निर्धारित समय-सीमा के भीतर जमा हो जाए।

विषय कोड सावधानी से चुने जाने चाहिए, और विशेष रूप से निम्नलिखित विषयों में, कोड सही ढंग से चुने जाने चाहिए:

(क) कक्षा - X में:

हिंदी - ए(002), हिंदी - बी (085),
उर्दू ए (003), उर्दू बी (303),
गणित मानक (041), गणित बेसिक (241)

ख) कक्षा - XII में:

हिंदी कोर (302), हिंदी वैकल्पिक (002),
अंग्रेजी कोर (301), अंग्रेजी वैकल्पिक (001),
संस्कृत कोर (322), संस्कृत वैकल्पिक (022),
उर्दू कोर (303), उर्दू वैकल्पिक (003),
गणित (041), अनुप्रयुक्त गणित (241)

कई स्कूल एलओसी जमा करने के बाद और परीक्षाओं से ठीक पहले विषयों को बदलने के लिए बोर्ड से संपर्क करते हैं। ऐसे अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे और विषय नहीं बदले जाएंगे। इसलिए, सभी स्कूलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एलओसी में सही विषय भरे गए हों। ऐसे अनुरोध परीक्षाओं की संवेदनशीलता को प्रभावित करते हैं।

महत्वपूर्ण नोट :-



के. मा. शि. बो. एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका, नई दिल्ली-110077





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

यदि किसी स्कूल ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर एलओसी जमा कर दी है और शुल्क भी जमा कर दिया है, और स्कूल को पता चलता है कि कुछ डेटा गलत जमा हो गया है, तो ऐसे मामलों में, स्कूल अंतिम तिथि तक डेटा को ठीक कर सकता है। यदि डेटा को संशोधित करने पर किसी अतिरिक्त शुल्क की आवश्यकता होती है, तो वह भी स्कूल द्वारा ऑनलाइन जमा किया जाएगा।

पहला उदाहरण:

यदि किसी स्कूल ने उम्मीदवार का नाम ठीक किया है, उपनाम जोड़ा या हटाया है, या किसी एक विषय को दूसरे विषय से बदला है, तो कोई शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

दूसरा उदाहरण:

यदि किसी स्कूल ने छठे स्थान पर कोई नया विषय जोड़ा है या बदला है, तो स्कूल/उम्मीदवार द्वारा अतिरिक्त परीक्षा/आईए/प्राैक्टिकल शुल्क (जैसा भी मामला हो) जमा किया जाएगा।

परीक्षा 2026 के लिए सही डेटा और विषयों को सुनिश्चित करने हेतु नया कदम

डेटा सत्यापन पर्ची तैयार करना

अंतिम तिथि के बाद, स्कूलों द्वारा प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक डेटा सत्यापन पर्ची तैयार की जाएगी। यदि स्कूल/उम्मीदवार को डेटा अर्थात उम्मीदवार/माता/पिता/अभिभावक का नाम, जन्म तिथि या चुने गए विषय में कोई गलती मिलती है, तो सीबीएसई 13.10.2025 से 27.10.2025 तक इसे ठीक करने की अनुमति देगा। एक बार यह प्रक्रिया और समय-सीमा समाप्त हो जाने के बाद, बोर्ड द्वारा किसी भी प्रकार का सुधार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अध्ययन योजना

बोर्ड ने एक अध्ययन योजना निर्धारित की है, जो माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम में लिंक https://cbseacademic.nic.in/curriculum_2026.html पर उपलब्ध है। स्कूलों के लिए यह अनिवार्य है कि वे विषयों की पेशकश केवल अध्ययन योजना के अनुसार ही करें। सीबीएसई की नीति/अध्ययन योजना के विपरीत विषय संयोजनों को बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा, और ऐसे उम्मीदवारों को 'पात्र नहीं' माना जाएगा।

यह आशा की जाती है कि स्कूल इन दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ेंगे, छात्रों का सही डेटा इकट्ठा करेंगे और उसे सही तरीके से जमा करेंगे। सही डेटा अपलोड करने में उनके प्रयासों से उम्मीदवारों को उनके विषय के अनुसार सही प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी, और साथ ही सही विवरण वाले दस्तावेज़ भी दिए जा सकेंगे; इससे परिणाम घोषित होने के बाद उम्मीदवारों के व्यक्तिगत डेटा में सुधार की ज़रूरत वाले मामले भी कम हो जाएँगे। कार्यालय समय के दौरान किसी भी प्रश्न या सहायता के लिए, कृपया इस लिंक पर जाएँ:

<https://www.cbse.gov.in/cbsenew/contact-us.html>.

भवदीय,

हस्ता/-

(डॉ. संयम भारद्वाज)
परीक्षा नियंत्रक





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

प्रतिलिपि नीचे उल्लिखित संबंधित निदेशालय, संगठन और संस्थानों के प्रमुखों को भेजी जा रही है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी स्कूलों तक यह जानकारी पहुँचाएँ और उन्हें निर्देश दें कि वे एलओसी डेटा सही और समय पर जमा करें:

1. आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, 18 इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-16.
2. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी-15, सेक्टर-62, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नोएडा-201309.
3. सचिव, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS), जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार.
4. सचिव, सैनिक स्कूल सोसायटी, कमरा नंबर 101, डी-1 विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110001.
5. नौसेना शिक्षा सोसायटी (NES), नौसेना शिक्षा निदेशालय, वेस्ट ब्लॉक V, विंग II, फ्लोर II, आरके पुरम, सेक्टर 1, नई दिल्ली 110066.
6. अध्यक्ष, ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन, ए-1/9, दूरदर्शन केंद्र के पास, पीओ सैनिक स्कूल नयापल्ली, भुवनेश्वर, ओडिशा-751005.
7. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, एनसीटी दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054.
8. लोक निर्देश निदेशक (स्कूल), केंद्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर 9, चंडीगढ़-160017.
9. शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101.
10. स्कूली शिक्षा निदेशक, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791111.
12. शिक्षा निदेशक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर-744101.
13. निदेशक, स्कूली शिक्षा विभाग, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, दूसरी मंज़िल, सिविल सचिवालय, लेह-लद्दाख.
14. निदेशक, स्कूल शिक्षा निदेशालय, पुडुचेरी सरकार, 'ए' ब्लॉक, पहली मंज़िल, पेरुथलाइवर कामराज शताब्दी शैक्षिक परिसर, 100 फ्रीट रोड, अन्ना नगर, पुडुचेरी - 605 005.
15. निदेशक, संभोटा तिब्बती स्कूल सोसाइटी, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश.
16. समूह कैप्टन (शिक्षा) (स्कूल), शिक्षा निदेशालय, वेस्ट ब्लॉक-VI, वायु सेना मुख्यालय (आरकेपी), आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066.
17. सचिव AWES, रक्षा मंत्रालय (सेना) का एकीकृत मुख्यालय, FDRC भवन संख्या 202, शंकर विहार (एपीएस के पास), दिल्ली छावनी-110010.
18. अध्यक्ष के उप सचिव, सीबीएसई अध्यक्ष की सादर सूचना हेतु.
19. बोर्ड के सभी विभागाध्यक्ष.
20. सीबीएसई के सभी क्षेत्रीय निदेशकों/क्षेत्रीय अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ कि वे इस परिपत्र को अपने-अपने क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्ध सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को भेजें.
21. वेब एडमिन, इस अनुरोध के साथ कि वे इस परिपत्र को सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड करें.
22. मीडिया एवं जनसंपर्क, सीबीएसई, उचित प्रसार एवं प्रचार हेतु.



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

अनुलग्नकों की सूची

अनुलग्नक	ए(i) और ए(ii)	कक्षा X/XII के लिए एलओसी जमा करने हेतु शुल्क विवरण
अनुलग्नक	बी	कक्षा XII के लिए स्कूलों के माध्यम से परीक्षा देने वाले छात्रों की श्रेणियाँ
अनुलग्नक	सी	कक्षा X के लिए स्कूलों के माध्यम से परीक्षा देने वाले छात्रों की श्रेणियाँ
अनुलग्नक	डी	उम्मीदवारों की सूची जमा करने हेतु गतिविधियों का सारांश
अनुलग्नक	ई	कक्षा X और XII के लिए उम्मीदवारों की सूची ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया
अनुलग्नक	एफ	फोटो स्कैन करने और अपलोड करने के चरण
अनुलग्नक	जी	कक्षा X के लिए अध्ययन योजना
अनुलग्नक	एच	कक्षा X के लिए विषयों की सूची
अनुलग्नक	आई	कक्षा X के लिए विषय संयोजनों के उदाहरण
अनुलग्नक	जे	कक्षा XII के लिए अध्ययन योजना
अनुलग्नक	के	कक्षा XII के लिए विषयों की सूची
अनुलग्नक	एल	कक्षा XII के लिए विषय संयोजनों के उदाहरण
अनुलग्नक	एम	बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों का क्षेत्राधिकार



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

अनुलग्नक-ए (i)

कक्षा X और कक्षा XII सत्र 2025-26 के लिए एलओसी का शुल्क विवरण।

शुल्क भुगतान के सभी तरीकों के लिए समय-सारिणी

चालान को छोड़कर- पृष्ठ-14 देखें

शुल्क स्लेब	प्रति छात्र जमा की जाने वाली परीक्षा शुल्क भारतीय रुपये में			एलओसी जमा करने की समय-सारिणी	डिजिटल भुगतान के लिए विंडो
	भारत	नेपाल	अन्य देश		
	कक्षा X और XII	कक्षा X और XII	कक्षा X और XII	29.08.2025 (शुक्रवार) से 30.09.2025 (मंगलवार) तक	एलओसी डेटा को अंतिम रूप देने की तिथि
सामान्य शुल्क:	1600/- प्रति उम्मीदवार 05 विषयों के लिए 320/- प्रति विषय अतिरिक्त विषयों के लिए	5500/-प्रति उम्मीदवार 05 विषयों के लिए 1100/-/- प्रति विषय अतिरिक्त विषयों के लिए	11,000/- प्रति उम्मीदवार 05 विषयों के लिए 2200/- प्रति विषय अतिरिक्त विषयों के लिए		
विलंब शुल्क के साथ	ऊपर निर्धारित सामान्य शुल्क के अतिरिक्त, प्रति उम्मीदवार 2000/-			03.10.2025 (शुक्रवार) से 11.10.2025 (शनिवार) तक	एलओसी डेटा को अंतिम रूप देने की तिथि
पैक्टिकल शुल्क	केवल कक्षा XII के लिए। (i) भारत में स्कूलों के लिए प्रति पैक्टिकल विषय, प्रति उम्मीदवार 160/- (ii) नेपाल के स्कूलों के लिए प्रति प्रायोगिक विषय, प्रति उम्मीदवार 175/- (iii) अन्य देशों के स्कूलों के लिए प्रति प्रायोगिक विषय, प्रति उम्मीदवार 375/-				
प्रवास प्रमाण पत्र	सीबीएसई अनिवार्य प्रक्रिया के तौर पर, प्रवास प्रमाण की हार्ड कॉपी जारी नहीं करेगा। आवश्यकतानुसार, छात्र परिणाम घोषित होने के बाद इसे प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, कक्षा XII के छात्रों के लिए, परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद प्रवास प्रमाण पत्र की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करा दी जाएगी।				
दृष्टिबाधित उम्मीदवार	कक्षा X और XII के दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।				





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

अनुलग्नक-ए (ii)

शुल्क भुगतान के सभी तरीकों के लिए समय-सारिणी

चालान के माध्यम से भुगतान - पृष्ठ-14 देखें

शुल्क स्लेब	प्रति छात्र जमा की जाने वाली परीक्षा शुल्क भारतीय रुपये में			एलओसी जमा करने की समय-सारिणी	डिजिटल भुगतान के लिए विंडो
	भारत	नेपाल	अन्य देश		
	कक्षा X और XII	कक्षा X और XII	कक्षा X और XII	29.08.2025 (शुक्रवार) से 22.09.2025 (सोमवार) तक	एलओसी डेटा को अंतिम रूप देने की तिथि
सामान्य शुल्क:	1600/- प्रति उम्मीदवार 05 विषयों के लिए 320/- प्रति विषय अतिरिक्त विषयों के लिए	5500/- प्रति उम्मीदवार 05 विषयों के लिए 1100/- प्रति विषय अतिरिक्त विषयों के लिए	11,000/- प्रति उम्मीदवार 05 विषयों के लिए 2200/- प्रति विषय अतिरिक्त विषयों के लिए		
विलंब शुल्क के साथ	ऊपर निर्धारित सामान्य शुल्क के अतिरिक्त, प्रति उम्मीदवार 2000/-			03.10.2025 (शुक्रवार) से 08.10.2025 (बुधवार) तक	एलओसी डेटा को अंतिम रूप देने की तिथि
प्राैक्तिकल शुल्क	केवल कक्षा XII के लिए। (i) भारत में स्कूलों के लिए प्रति प्राैक्तिकल विषय, प्रति उम्मीदवार 160/- (ii) नेपाल के स्कूलों के लिए प्रति प्रायोगिक विषय, प्रति उम्मीदवार 175/- (iii) अन्य देशों के स्कूलों के लिए प्रति प्रायोगिक विषय, प्रति उम्मीदवार 375/-				
प्रवास प्रमाण पत्र	सीबीएसई अनिवार्य प्रक्रिया के तौर पर, प्रवास प्रमाण की हार्ड कॉपी जारी नहीं करेगा। आवश्यकतानुसार, छात्र परिणाम घोषित होने के बाद इसे प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, कक्षा XII के छात्रों के लिए, परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद प्रवास प्रमाण पत्र की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करा दी जाएगी।				
दृष्टिबाधित उम्मीदवार	कक्षा X और XII के दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।				



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

महत्वपूर्ण नोट: शुल्क केवल CBSE द्वारा निर्धारित ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। ऑफलाइन माध्यम से, या सीधे बैंक खाते में जमा करने आदि के रूप में कोई भी शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्कूल/ उम्मीदवार द्वारा जमा किया गया ऑफलाइन शुल्क स्कूल के खातों में अपडेट नहीं किया जाएगा, और एलओसी भी स्वीकार नहीं की जाएगी।

	शुल्क भुगतान का तरीका
(क)	सभी गतिविधियों के लिए फीस केवल सीबीएसई द्वारा स्वीकार किए गए निम्नलिखित डिजिटल भुगतान तरीकों से ही ली जाएगी: भारत: इंटरनेट बैंकिंग/यूपीआई/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/NEFT/RTGS/अन्य देश नेपाल सहित इंटरनेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/SWIFT कार्ड/क्रेडिट कार्ड।
(ख)	1. NEFT/RTGS (काउंटर पर) के ज़रिए भुगतान करते समय, स्कूल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी बैंक ब्रांच चालान नंबर, चालान की तारीख और चालान की राशी डालते समय पूरी सावधानी बरते। ऊपर दी गई जानकारी में कोई भी गलती होने पर भुगतान अपने-आप रद्द हो जाएगा और राशी स्कूल के बैंक खाते में वापस आ जाएगी; इसके लिए स्कूल ही ज़िम्मेदार होगा। 2. भुगतान हो जाने के बाद, स्कूलों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी तरह के असफल भुगतान/रद्दीकरण की जानकारी के लिए नियमित रूप से अपना बैंक खाता देखते रहें। 3. अगर फीस पोर्टल पर भुगतान की स्थिति अपडेट नहीं होती है, तो स्कूलों को सलाह दी जाती है कि वे उसी दिन दोबारा भुगतान न करें और अपनी शिकायत feehelpdesk.cbse@gmail.com पर ईमेल के ज़रिए भेजें।
(ग)	चूंकि SWIFT अपडेट होने में 5-7 दिन लग सकते हैं, इसलिए भारत के बाहर स्थित स्कूलों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी प्रक्रिया (फीस का भुगतान सहित) इस तरह से पूरी करें कि अंतिम तारीख से पहले उनकी प्रक्रिया पूरी हो जाए।
(घ)	बैंक से जुड़े लेन-देन या सीबीएसई सर्वर पर फीस अपडेट न होने की स्थिति में, स्कूलों को उस संबंधित बैंक से संपर्क करना चाहिए जिसके ज़रिए भुगतान किया गया था। बैंकों की संपर्क जानकारी सीबीएसई की वेबसाइट पर दी गई है। आम तौर पर, फीस अपडेट न होने की समस्या को हल करने के लिए बैंक को निम्नलिखित जानकारी की ज़रूरत होगी; इसलिए, बैंक से संपर्क करने से पहले यह जानकारी तैयार रखें: (i) भुगतान का तरीका (ii) फीस सन्दर्भ संख्या (iii) जमा की गई राशी (iv) जमा करने की तारीख (v) वह ब्रांच जहां राशी जमा की गई थी (vi) बैंक रेफरेंस नंबर (बैंक खाते में दिखाई देने वाली ट्रांज़ैक्शन ID) (vii) आपका संपर्क नंबर।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

विलंब शुल्क की गणना के लिए उदाहरण	
	जिस तारीख को डेटा को अंतिम रूप दिया जाता है, उसे शुल्क गणना के लिए ध्यान में रखा जाता है
(i)	यदि छात्रों का विवरण अंतिम तिथि को या उससे पहले दर्ज किया जाता है और अंतिम रूप दिया जाता है, तो स्कूल बिना विलंब शुल्क के अंतिम तिथि तक शुल्क का भुगतान कर सकता है। इसके बाद विलंब शुल्क लागू होगा।
(ii)	यह ध्यान दिया जाए कि यदि अंतिम तिथि तक छात्रों के एलओसी डेटा को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है, तो विलंब शुल्क लागू होगा। डेटा को अंतिम रूप देने के बाद अंतिम तिथि का कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। डेटा को अंतिम रूप देना छात्रों के डेटा की प्रविष्टि/अपलोड के बाद की एक गतिविधि है।
(ii)	सावधान: स्कूल यह सुनिश्चित करेंगे कि एलओसी डेटा को समय पर अंतिम रूप दिया जाए और शुल्क को निर्धारित समय के अनुसार सही से जमा किया जाए। एलओसी डेटा को अंतिम रूप देने और शुल्क जमा करने में किसी भी तरह की देरी पर विलंब शुल्क का जुर्माना लगाया जाएगा जैसा कि ऊपर दिया गया है।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

अनुलग्नक-बी

कक्षा-XII के लिए स्कूलों के माध्यम से परीक्षा देने वाले छात्रों की श्रेणियाँ।

बोर्ड की परीक्षा में बैठने की पात्रता के विभिन्न नियमों के आधार पर, छात्रों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। यह देखा गया है कि स्कूल उम्मीदवारों की सूची में गलत श्रेणियाँ बताते हैं, और इसलिए जब परिणाम घोषित होता है, तो उम्मीदवारों का परिणाम गलत तरीके से निकाला जाता है। इसके बाद, स्कूल सीबीएसई से संबंधित उम्मीदवार की श्रेणी बदलने और परिणाम को भी ठीक करने का अनुरोध करते हैं।	स्कूलों के संज्ञान में यह बात लाई जाती है कि छात्रों की निम्नलिखित 03 श्रेणियाँ हैं, जिनका उल्लेख स्कूलों द्वारा एलओसी में किया जाएगा -
(क)	नियमित उम्मीदवार - श्रेणी 'FS' वे छात्र जो स्कूल के वास्तविक नियमित छात्र हैं और पहली बार परीक्षा में बैठेंगे, उन्हें नियमित उम्मीदवार कहा जाता है।
(ख)	अनिवार्य दोहराव वाले उम्मीदवार - श्रेणी 'ER' (i) वे उम्मीदवार जो पिछले वर्ष परीक्षा में बैठे थे और जिन्हें 'अनिवार्य दोहराव' घोषित किया गया है, वे निम्नलिखित दो तरीकों से परीक्षा में दोबारा बैठ सकते हैं:- (ख) निजी उम्मीदवार के रूप में (अलग की शुरुआत में आवेदन करें) (ग) स्कूल के माध्यम से नियमित उम्मीदवार के रूप में (एलओसी नियमित उम्मीदवारों के साथ जमा की जाएगी और स्कूल CBSE से कक्षा X/XII में सीधे प्रवेश के लिए अनुमति लेगा, जैसा भी मामला हो) वे उम्मीदवार जो परीक्षा पास करने के लिए स्कूल में नियमित छात्रों के रूप में पढ़ रहे हैं, उन्हें अध्ययन योजना के अनुसार सभी विषयों में परीक्षा देनी होगी और उन्हें अपनी उपस्थिति की आवश्यकता भी पूरी करनी होगी। उन्हें प्रैक्टिकल/प्रोजेक्ट/आईए में भी बैठना होगा। (ii) वे उम्मीदवार जो पिछले वर्ष परीक्षा में बैठे थे और जिन्हें 'कम्पार्टमेंट' घोषित किया गया है, वे संबंधित विषय की परीक्षा में निजी उम्मीदवार के रूप में दोबारा बैठ सकते हैं। ऐसे उम्मीदवार स्कूल के माध्यम से नियमित उम्मीदवार के रूप में भी बैठ सकते हैं, लेकिन उन सभी विषयों में जिनमें वे पिछले वर्ष बैठे थे। वे उम्मीदवार जो परीक्षा पास करने के लिए स्कूल में नियमित छात्रों के रूप में पढ़ रहे हैं, उन्हें अपनी उपस्थिति की आवश्यकता पूरी करनी होगी। उन्हें प्रैक्टिकल/प्रोजेक्ट/आईए में भी बैठना होगा।
	प्रदर्शन में सुधार - श्रेणी 'I' वे उम्मीदवार जिन्होंने पिछले वर्ष परीक्षा पास कर ली है, वे अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए केवल अगले वर्ष ही परीक्षा में बैठ सकते हैं। ऐसे उम्मीदवार निजी उम्मीदवार के रूप में या स्कूल के माध्यम से नियमित उम्मीदवार के रूप में परीक्षा में बैठ सकते हैं। जो उम्मीदवार अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए स्कूल में नियमित छात्रों के रूप में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें उन सभी विषयों की परीक्षा देनी होगी जिनमें वे पिछले वर्ष शामिल हुए थे, और उन्हें अपनी उपस्थिति की अनिवार्यता भी पूरी करनी होगी। उनके पिछले वर्ष के प्रैक्टिकल/प्रोजेक्ट/आईए के अंक आगे ले जाए जाएंगे।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

अनुलग्नक सी

कक्षा-X के लिए स्कूलों के माध्यम से परीक्षा देने वाले छात्रों की श्रेणियाँ	
बोर्ड की परीक्षा में बैठने की पात्रता के विभिन्न नियमों के आधार पर, छात्रों को अलग-अलग श्रेणियों में बाँटा गया है। यह देखा गया है कि स्कूल एलओसी में गलत श्रेणियाँ बताते हैं, और इसलिए जब परिणाम घोषित होता है, तो उम्मीदवारों का परिणाम गलत तरीके से निकाला जाता है। इसके बाद, स्कूल CBSE से संबंधित उम्मीदवार की श्रेणी बदलने और परिणाम को भी ठीक करने का अनुरोध करते हैं।	
स्कूलों के संज्ञान में यह बात लाई जाती है कि छात्रों की निम्नलिखित 03 श्रेणियाँ हैं जिन्हें स्कूलों द्वारा एलओसी में बताया जाएगा-	
(क)	नियमित उम्मीदवार - श्रेणी 'FS' वे छात्र जो स्कूल के वास्तविक नियमित छात्र हैं और पहली बार परीक्षा में बैठ रहे हैं, उन्हें नियमित उम्मीदवार कहा जाता है। कक्षा X में दो बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए, पहली परीक्षा मुख्य परीक्षा होगी। पहली परीक्षा में बैठने की पात्रता निम्नलिखित होगी: क) कक्षा X के नए छात्र। किसी भी स्कूल से पहली बार परीक्षा देने वाले छात्र नए उम्मीदवार होते हैं। ख) दूसरा अवसर कम्पार्टमेंट वे छात्र जिन्हें पिछले वर्ष की परीक्षा में कम्पार्टमेंट श्रेणी में रखा गया था। ग) पिछले वर्ष का आवश्यक दोहराव वे छात्र जिन्हें पिछले वर्ष की परीक्षा में आवश्यक दोहराव श्रेणी में रखा गया था। घ) सुधार परीक्षा वे छात्र जो पिछले वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए थे, लेकिन एक या अधिक विषयों में अपने प्रदर्शन में सुधार करना चाहते हैं। दूसरी परीक्षा में बैठने की पात्रता निम्नलिखित होगी: क) सुधार श्रेणी 03 मुख्य विषयों तक वे उम्मीदवार जो उसी वर्ष की मुख्य परीक्षा में बैठे थे। ख) पहला तीसरा/अवसर कम्पार्टमेंट वे उम्मीदवार जिन्हें इस वर्ष या पिछले वर्ष की परीक्षा में कम्पार्टमेंट श्रेणी में रखा गया था। ग) कम्पार्टमेंट सुधार। + वे उम्मीदवार जिन्हें इस वर्ष कम्पार्टमेंट श्रेणी में रखा गया है और जो कम्पार्टमेंट विषय के अलावा किसी अन्य विषय में भी अपने प्रदर्शन में सुधार करना चाहते हैं। घ) उन छात्रों के लिए सुधार, जो किसी विषय को बदलकर उत्तीर्ण हुए हैं।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

(ख)	आवश्यक दोहराव उम्मीदवार - कैटेगरी 'ER' जिन उम्मीदवारों ने पिछले साल परीक्षा दी थी और जिन्हें आवश्यक दोहराव घोषित किया गया है, वे निम्नलिखित दो तरीकों से परीक्षा में दोबारा शामिल हो सकते हैं: - क) एक प्राइवेट उम्मीदवार के तौर पर (अलग एलओसी की शुरुआत में आवेदन करें) ख) स्कूल के माध्यम से एक नियमित उम्मीदवार के तौर पर (एलओसी नियमित उम्मीदवारों के साथ जमा की जाएगी और स्कूल सीबीएसई से कक्षा X/XII में सीधे प्रवेश लिए अनुमति लेगा, जैसा भी मामला हो) जो उम्मीदवार परीक्षा पास करने के लिए स्कूल में नियमित छात्र के तौर पर पढ़ रहे हैं, उन्हें पढ़ाई की योजना के अनुसार सभी विषयों में शामिल होना होगा और उन्हें अपनी उपस्थिति की ज़रूरत पूरी करनी होगी। उन्हें Practical/Project/IA में भी शामिल होना होगा। जिन उम्मीदवारों ने पिछले साल परीक्षा दी थी और जिन्हें कम्पार्टमेंट घोषित किया गया है, वे संबंधित विषय की परीक्षा में एक प्राइवेट उम्मीदवार के तौर पर दोबारा शामिल हो सकते हैं। ऐसे उम्मीदवार स्कूल के माध्यम से नियमित उम्मीदवार के तौर पर भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन सभी विषयों में जिनमें वे पिछले साल शामिल हुए थे। जो उम्मीदवार परीक्षा पास करने के लिए स्कूल में नियमित छात्रों के तौर पर पढ़ रहे हैं, उन्हें अपनी उपस्थिति की आवश्यकता पूरी करनी होगी। उन्हें Practical/Project/IA में भी शामिल होना होगा।
(ग)	प्रदर्शन में सुधार - कैटेगरी 'I' जिन उम्मीदवारों ने पिछले साल परीक्षा पास कर ली है, वे अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए केवल अगले साल ही परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। ऐसे उम्मीदवार प्राइवेट उम्मीदवार के तौर पर या स्कूल के माध्यम से नियमित उम्मीदवार के तौर पर शामिल हो सकते हैं। जो उम्मीदवार अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए स्कूल में नियमित छात्र के तौर पर पढ़ रहे हैं, उन्हें उन सभी विषयों में शामिल होना होगा जिनमें वे पिछले साल शामिल हुए थे और उन्हें अपनी उपस्थिति की आवश्यकता पूरी करनी होगी। उनके पिछले वर्ष के Practical/Project/IA के अंक आगे बढ़ा दिए जाएंगे।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

अनुलग्नक-डी

सारांश गतिविधियां

उम्मीदवारों की सूची (एलओसी) कक्षा X और XII जमा करने के लिए की जानी है

विवरण ऑनलाइन जमा करने के लिए नीचे दिए गए चरण 1 से 12 का क्रम से पालन किया जाना है।		
चरण	उम्मीदवारों की सूची (एलओसी) के लिए गतिविधियाँ	गतिविधि का प्रकार
1.	OASIS पोर्टल पर डेटा का अपडेशन/प्रस्तुतीकरण	ऑनलाइन
2.	HPE पोर्टल पर स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा डेटा प्रस्तुतीकरण	ऑनलाइन
3.	एलओसी पोर्टल पर पंजीकरण	ऑनलाइन
4.	लॉगिन	ऑनलाइन
5.	जांचसूची: पोर्टल से पिछले वर्ष के कक्षा IX और XI के पंजीकृत उम्मीदवारों की सूची प्रिंट करना ऑनलाइन	ऑनलाइन
6.	जांचसूची की जाँच और चेकलिस्ट पर सुधार अंकित करना: (क) उम्मीदवार के विवरण में सुधार (ख) उम्मीदवारों को जोड़ना: ➤ प्रदर्शन में सुधार के लिए ➤ नए प्रवेश कक्षा से स्कूलों अन्य /X/XII में स्थानांतरण के मामले (मैन्युअल) ➤ वे उम्मीदवार जो कक्षा X/XII में उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, लेकिन एक नियमित उम्मीदवार के रूप में सभी 5/6/7 विषयों को दोहराना चाहते हैं (ग) उम्मीदवारों को हटाना: ➤ अन्य स्कूलों में स्थानांतरण के मामले। ➤ कक्षा IX/XI में अनुत्तीर्ण उम्मीदवार (घ) क्या किसी उम्मीदवार की तस्वीर में किसी सुधार की आवश्यकता है	
7.	जांचसूची पर अंकित सुधारों को एलओसी पोर्टल पर अपडेट करना	ऑनलाइन
8.	पोर्टल से उम्मीदवारों की सूची (एलओसी) – कक्षा X / XII जांचसूची प्रिंट करना	ऑनलाइन
9.	तस्वीरें और हस्ताक्षर अपलोड करना	ऑनलाइन
10.	डेटा को अंतिम रूप देना	ऑनलाइन
11.	शुल्क भुगतान	ऑनलाइन
12.	उम्मीदवारों की अंतिम सूची (एलओसी) प्रिंट करना	ऑनलाइन
13.	डेटा सत्यापन पर्ची	ऑनलाइन



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

अनुलग्नक-ई

कक्षा X और XII के उम्मीदवारों की सूची ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया

क	लॉगिन: केवल पंजीकृत स्कूलों को ही लॉगिन करने की अनुमति है।										
ख	चेकलिस्ट: पोर्टल से पिछले वर्ष के पंजीकृत उम्मीदवारों की सूची प्रिंट करना, अर्थात: (क) पिछले वर्ष कक्षा IX/XI के पंजीकरण के समय स्कूल द्वारा जमा किए गए उम्मीदवारों का विवरण पोर्टल पर उपलब्ध होगा (ख) इस सूची का शीर्षक होगा 'पिछले वर्ष के पंजीकृत उम्मीदवारों की चेकलिस्ट और कक्षा X/XII परीक्षाओं के लिए पात्र' (ग) स्कूल उम्मीदवारों के उपलब्ध विवरणों की सूची प्रिंट करेंगे। प्रिंटर सेटिंग्स को A4 साइज़ के पेपर के लिए, लैंडस्केप प्रिंटिंग के साथ, सभी तरफ 0.25" के मार्जिन पर सेट किया जा सकता है। (घ) अगले चरण पर जाने से पहले स्कूल को ये 2 लिस्ट प्रिंट कर लेनी चाहिए।										
उम्मीदवारों की लिस्ट (एलओसी) के लिए उम्मीदवारों के विवरण की जाँच:											
ग	चेकलिस्ट की जाँच और चेकलिस्ट पर किए जाने वाले सुधारों को चिह्नित करना: (क) प्रिंट की गई चेकलिस्ट में पिछले वर्ष के IX/XI कक्षा के छात्रों का डेटा होता है, जो अब X/XII कक्षा की परीक्षा में शामिल होंगे। (ख) स्कूलों को सूची में दिए गए छात्रों के विवरण की जाँच मूल प्रवेश और निकासी रजिस्टर (AWR), विषय कोड, और उम्मीदवार द्वारा चुने गए विषय के नाम से करनी चाहिए। चेकलिस्ट में प्रिंट किए गए उम्मीदवारों के फोटो की भी जाँच की जानी चाहिए। चेकलिस्ट में किसी भी प्रकार के सुधार/जोड़/ हटाने को चिह्नित किया जाना चाहिए। (ग) स्कूलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उम्मीदवार/माता/पिता के नाम की वर्तनी, लिंग, श्रेणी, जन्म तिथि, विषय आदि से संबंधित सभी सुधारों की जाँच कर ली गई है और उन्हें चेकलिस्ट में चिह्नित कर दिया गया है। (घ) यदि कुछ छात्रों को जोड़ने और कुछ छात्रों को हटाने की आवश्यकता है, तो स्कूल को पहले छात्रों को हटाना चाहिए, क्योंकि इससे नए उम्मीदवारों को जोड़ने के लिए जगह बन जाएगी।										
घ	उम्मीदवारों को हटाना: <table border="1"> <thead> <tr> <th>हटाने के कारण</th><th>हटाने के लिए कोड</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>कक्षा IX/XI में अनिवार्य दोहराव</td><td>अनिवार्य दोहराव</td></tr> <tr> <td>आपके स्कूल से अन्य स्कूलों में स्थानांतरण</td><td>स्थानांतरण</td></tr> </tbody> </table> नोट: हटाने के कारणों को सर्वर पर 'रिमार्क' कॉलम में 'हटाने के लिए कोड' के अनुसार ही दिया जाना चाहिए। इन उम्मीदवारों का विवरण नोट कर लिया जाना चाहिए।	हटाने के कारण	हटाने के लिए कोड	कक्षा IX/XI में अनिवार्य दोहराव	अनिवार्य दोहराव	आपके स्कूल से अन्य स्कूलों में स्थानांतरण	स्थानांतरण				
हटाने के कारण	हटाने के लिए कोड										
कक्षा IX/XI में अनिवार्य दोहराव	अनिवार्य दोहराव										
आपके स्कूल से अन्य स्कूलों में स्थानांतरण	स्थानांतरण										
ङ	उम्मीदवारों को जोड़ना <table border="1"> <thead> <tr> <th>जोड़ने के कारण</th><th>जोड़ने के लिए कोड</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>नए प्रवेश-</td><td></td></tr> <tr> <td>सीबीएसई से संबद्ध अन्य स्कूलों से स्थानांतरण -</td><td>स्थानांतरण</td></tr> <tr> <td>सीबीएसई से संबद्ध न होने वाले स्कूलों से स्थानांतरण -</td><td>सीधे</td></tr> <tr> <td>प्रदर्शन में सुधार - वे छात्र जिन्होंने कक्षा X/XII अर्हता प्राप्त /उत्तीर्ण कर ली है और अब सभी विषयों में अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए परीक्षा देंगे।</td><td>सुधार</td></tr> </tbody> </table>	जोड़ने के कारण	जोड़ने के लिए कोड	नए प्रवेश-		सीबीएसई से संबद्ध अन्य स्कूलों से स्थानांतरण -	स्थानांतरण	सीबीएसई से संबद्ध न होने वाले स्कूलों से स्थानांतरण -	सीधे	प्रदर्शन में सुधार - वे छात्र जिन्होंने कक्षा X/XII अर्हता प्राप्त /उत्तीर्ण कर ली है और अब सभी विषयों में अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए परीक्षा देंगे।	सुधार
जोड़ने के कारण	जोड़ने के लिए कोड										
नए प्रवेश-											
सीबीएसई से संबद्ध अन्य स्कूलों से स्थानांतरण -	स्थानांतरण										
सीबीएसई से संबद्ध न होने वाले स्कूलों से स्थानांतरण -	सीधे										
प्रदर्शन में सुधार - वे छात्र जिन्होंने कक्षा X/XII अर्हता प्राप्त /उत्तीर्ण कर ली है और अब सभी विषयों में अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए परीक्षा देंगे।	सुधार										



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

	वे छात्र जिन्होंने पहले कक्षा X/XII उत्तीर्ण नहीं की है और अब सभी विषयों को फिर से दोहराकर (Repeat) नियमित उम्मीदवारों के रूप में परीक्षा देंगे।	अनिवार्य दोहराव
	महत्वपूर्ण: (i) स्कूलों को उम्मीदवारों को जोड़ने के लिए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से अनुमति लेनी चाहिए। (ii) क्षेत्रीय कार्यालय संबंधित स्कूल के पोर्टल पर उम्मीदवारों की संख्या को अपडेट करने के बाद ही अनुमति देंगे। (iii) जोड़ने के कारणों को पोर्टल पर 'रिमार्क' कॉलम में 'जोड़ने के लिए कोड' के अनुसार ही दिया जाना चाहिए। इन उम्मीदवारों का विवरण नोट कर लिया जाना चाहिए।	
च	उम्मीदवारों के फोटो: यदि गलत है, पठनीय नहीं है/साफ़ नहीं है, या उपलब्ध नहीं है - अगर चेकलिस्ट में छपी फोटो गलत है, धुंधली है/पहचानी नहीं जा सकती, या उपलब्ध नहीं है, तो फोटो की स्कैन की हुई कॉपी/सॉफ्ट कॉपी को ऑनलाइन दोबारा अपलोड किया जाना चाहिए। - फोटो में कंट्रास्ट ज्यादा होना चाहिए और उसका बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए (पासपोर्ट साइज़, बेहतर होगा कि ब्लैक एंड व्हाइट हो)। फोटो पर छात्र का नाम और फोटो खींचने की तारीख (फोटो 1.7.2025 को या उसके बाद खींची गई होनी चाहिए) ज़रूर लिखी होनी चाहिए। - स्कैन की हुई फोटो को JPG फॉर्मेट में सेव किया जाना चाहिए, और फ़ाइल का नाम रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर चेकलिस्ट में उम्मीदवार की जानकारी के सामने छपा होता है। उदाहरण: अगर अनिल कुमार (जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर A119/03001/0057 है) की फोटो गलत है, सुपाठ्य नहीं है/साफ़ नहीं है, या उपलब्ध नहीं है, तो अनिल कुमार की फोटो को स्कैन करके A119030010057.jpg के तौर पर सेव किया जाना चाहिए। - फोटो को "Uploading of Photograph" विकल्प का इस्तेमाल करके अपलोड किया जाना चाहिए।	
छ	चेकलिस्ट में निशान लगाए गए सुधार पोर्टल पर किए जाने चाहिए: फोटो अपलोड करने सहित चिह्नित सुधार सीबीएसई वेबसाइट से जुड़े कंप्यूटर/लैपटॉप पर "Correction of Candidates Details including photographs, if any" ("फोटो सहित उम्मीदवारों के विवरण में सुधार, यदि कोई हो") विकल्प चुनकर टाइप करके किए जाने चाहिए।	
ज	उम्मीदवारों की जानकारी में सुधार, जिसमें फोटो भी शामिल है, यदि कोई हो: इस काम के लिए तीन विकल्प हैं – MODIFY/CORRECT, ADD and DELETE। चेकलिस्ट में निशान लगाए गए सुधार सर्वर पर इस तरह किए जा सकते हैं:	
	(i)	सुधारों के लिए MODIFY/CORRECT उम्मीदवार के नाम/विषय/अन्य जानकारी में अलग-अलग सुधार करने के लिए। उम्मीदवार की पहले से जमा की गई जानकारी में सुधार किए जा



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

		सकते हैं। चेकलिस्ट में उम्मीदवार की जानकारी के सामने छपा सीरियल नंबर टाइप किया जाना चाहिए, जिसके बाद उम्मीदवार की जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी। ज़रूरी सुधार/बदलाव उस खास जानकारी के सामने टाइप किए जा सकते हैं।
	(ii)	जोड़ें: किसी छूटे हुए उम्मीदवार/नए दाखिले वाले उम्मीदवार की जानकारी जोड़ने के लिए।
	(iii)	हटाना: सूची से उम्मीदवार के पहले से उपलब्ध विवरण को हटाने/निकालने के लिए। - चेकलिस्ट पर मुद्रित उम्मीदवार का क्रम संख्या प्रविष्ट किया जाए और उम्मीदवार का विवरण प्रदर्शित हो जाता है। - विवरण को हटाने के लिए 'हटाएं' बटन दबाएँ - एक बार हटाए गए विवरण को पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सकता है और यदि आवश्यक हो तो एडीडी विकल्प का उपयोग करके फिर से दर्ज करना होगा।
झ		"चेकलिस्ट प्रिंटिंग ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स (एलओसी) विद फोटोग्राफ्स" विकल्प चुनकर उम्मीदवारों की चेकलिस्ट पुनः प्रिंट करें।
		सीबीएसई के क्षेत्रीय अधिकारी उम्मीदवारों के विवरण में किए गए सुधारों/परिवर्धन पर कड़ी नज़र रखेंगे। स्कूलों को सलाह दी जाती है कि कक्षा IX/XI में पहले से ही पंजीकृत वास्तविक उम्मीदवारों को ही कक्षा X/XII के एलओसी में प्रायोजित किया जाता है। सुधार करते समय स्कूलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि X/XII में प्रायोजित होने वाले उम्मीदवार की अदला-बदली किसी अन्य उम्मीदवार के साथ न हो जो कक्षा IX/XI में पंजीकृत है। विषयों में सुधार करते समय (जहां IX/XI से विषय का परिवर्तन शामिल है) स्कूलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सीबीएसई की मंजूरी प्राप्त हो गई है। X/XII में सीधे भर्ती उम्मीदवारों के संबंध में उम्मीदवारों को जोड़ते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सीबीएसई की मंजूरी प्राप्त हो। यदि सीबीएसई से अपेक्षित अनुमोदन के साथ इस तरह के परिवर्धन/सुधारों का समर्थन नहीं किया जाता है, तो ऐसे कदाचार में शामिल स्कूल के खिलाफ कार्रवाई के अलावा, X/XII बोर्ड परीक्षा में ऐसे छात्रों की उम्मीदवारी को किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है।
ट		फोटोग्राफ अपलोड करना। यदि अनिल कुमार की तस्वीर गलत है या सुपाठ्य/स्पष्ट नहीं है या उपलब्ध नहीं है जिसका पंजीकरण नं. A 119/03001/0057 है। अनिल कुमार की तस्वीर A11930010057.jpg के रूप में स्कैन और संग्रहीत निम्नानुसार अपलोड की जानी चाहिए: - क्रम संख्या चेकलिस्ट पर मुद्रित उम्मीदवार का विवरण दर्ज किया जाए और उम्मीदवार का विवरण और यदि सर्वर में उपलब्ध हो तो फोटोग्राफ प्रदर्शित किया जाए। - इस उम्मीदवार की तस्वीरें स्कूल के कंप्यूटर पर संग्रहीत इस उम्मीदवार की तस्वीर चुनकर अपलोड की जा सकती हैं।
ठ		तस्वीरों के साथ उम्मीदवारों की सूची (एलओसी) की चेकलिस्ट प्रिंटिंग: (i) स्कूल स्कूल के कंप्यूटर से जुड़े प्रिंटर का उपयोग करके "तस्वीरों के साथ उम्मीदवारों की सूची की चेकलिस्ट प्रिंटिंग (एलओसी)" विकल्प चुनकर उम्मीदवारों के प्रस्तुत विवरण की एक सूची प्रिंट करेंगे।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

	(ii) प्रिंटर सेटिंग्स को 0.25 पर सेट किए गए सभी साइड मार्जिन के साथ लैंडस्केप प्रिंटिंग के साथ ए 4 आकार के कागज के लिए सेट किया जा सकता है। (iii) इस सूची का शीर्षक होगा 'कक्षा _____ के लिए एलओसी हेतु उम्मीदवारों की सूची'
ड	APAAR ID का अद्यतन (केवल भारत में स्थित स्कूलों के लिए) (i) स्कूल "अपडेट APAAR ID" टैब खोलेगा (ii) पंजीकरण संख्या, उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम, माता का नाम के साथ उम्मीदवारों की सूची स्कूल को दिखाई देगी। (iii) स्कूल को APAAR ID साझा करने की सहमति के साथ संबंधित उम्मीदवार की APAAR ID भरने की आवश्यकता है (iv) स्कूल कृपया ध्यान दें कि टेक्स्टबॉक्स में एक वैध APAAR ID दर्ज की जानी चाहिए।
ढ	आंकड़ों को अंतिम रूप देना (सुनिश्चित करें कि अंतिम रूप देने से पहले सभी सुधार किए गए हैं) (i) जब सभी सुधार किए जा चुके हैं और सूची त्रुटि-मुक्त है, तो डेटा को अंतिम रूप दिया जा सकता है। डेटा को अंतिम रूप देने का मतलब है कि डेटा में कोई और सुधार/विलोपन/जोड़ जो आज तक प्रस्तुत किए गए हैं अर्थात्, प्रस्तुत किए गए डेटा को त्रुटि-मुक्त और अंतिम माना जाएगा। (ii) शुल्क अनुसूची के अनुसार शुल्क लागू होगा, अर्थात् जिस तारीख को डेटा को अंतिम रूप दिया जाता है, वह शुल्क गणना के उद्देश्य से लिया जाता है। (iii) डेटा को अंतिम रूप देने के बाद, अधिक उम्मीदवारों को जोड़ा जा सकता है बशर्ते कि विवरण जमा करने की तारीख अनुसूची के भीतर हो और शुल्क अनुसूची के अनुसार शुल्क प्रेषित करना होगा।
ण	उम्मीदवारों की अंतिम सूची (एलओसी) की प्रिंटिंग (i) स्कूल प्रस्तुत उम्मीदवारों की अंतिम सूची का प्रिंटआउट लेंगे। अंतिम सूची में उम्मीदवारों के विवरण छापने का प्रावधान है। शुल्क विवरण प्रस्तुत किए बिना अंतिम सूची तैयार नहीं की जा सकती है। (ii) नाम, पिता के नाम और माता के नाम की पुष्टि करने के लिए स्कूल माता के हस्ताक्षर, पिता के हस्ताक्षर और उम्मीदवार के हस्ताक्षर प्राप्त करेगा। (iii) इस सूची का शीर्षक 'कक्षा _____ के लिए उम्मीदवारों की अंतिम सूची' होगा। (iv) प्रिंटर सेटिंग को ए4 आकार के कागज के लिए लैंडस्केप प्रिंटिंग के साथ सभी साइड मार्जिन 0.25 पर सेट किया जा सकता है। (v) अंतिम सूची में उम्मीदवारों के हस्ताक्षर प्राप्त करें।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

अनुलग्नक-एफ

फोटो स्कैन करने और अपलोड करने के चरण

फोटो का प्रकार		
(क)	(i) फोटो पूरी तरह रंगीन और अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए ताकि कोई पिक्सेल दिखाई न दे। (ii) फोटो पिछले 6 महीनों के अंदर ली गई होनी चाहिए। (iii) सिर सीधे कैमरे की तरफ होना चाहिए, बीच में होना चाहिए और फोटो का 80% हिस्सा कवर करना चाहिए। फोटो में बालों के ऊपरी हिस्से से लेकर छाती के बीच तक का हिस्सा आना चाहिए। (iv) चेहरा स्वाभाविक दिखना चाहिए - मुस्कुराने की अनुमति है। (v) व्यक्ति (उम्मीदवार) पर साफ फोकस होना चाहिए और वह बैकग्राउंड से अलग दिखना चाहिए। एक ही रंग का बैकग्राउंड सबसे अच्छा रहता है। (vi) आँखें खुली होनी चाहिए और कैमरे की तरफ देख रही होनी चाहिए। चश्मा नहीं होना चाहिए (vii) या अगर चश्मा रंगीन है, तो उसे रोज़ाना मेडिकल कारणों से पहना जाता हो। व्यक्ति का पूरा चेहरा साफ दिखाई देना चाहिए।	फोटो कुलवंत सिंह 01/04/2025
फोटो अपलोड करने का तरीका		
रजिस्ट्रेशन/एलओसी पोर्टल पर फोटो अपलोड करने के दो तरीके हैं:		
(ख)	एकल फोटो स्कैन करने का तरीका (i) उम्मीदवार की फोटो स्कैन करें और उसे jpg फ़ाइल के रूप में सेव करें। (ii) कृपया सुनिश्चित करें लें कि फोटो का साइज़ पासपोर्ट साइज़ का हो और 40 kb की सीमा के अंदर हो। (iii) फोटो को उम्मीदवार के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ सेव करें। (iv) सभी फोटो को एक फ़ोल्डर में इकट्ठा करें। (v) CBSE की वेबसाइट पर जाएँ और रजिस्ट्रेशन/LOC पोर्टल में लॉग इन करें। (vi) फोटो अपलोड करने के विकल्प पर जाएँ। (vii) फ़ोल्डर से फोटो चुनें और अपलोड बटन पर क्लिक करें। (viii) वह कक्षा चुनें जिसके लिए फोटो अपलोड करनी है और लिस्ट जनरेट करें। (ix) फ़ोल्डर से फोटोग्राफ़ चुनें और अपलोड बटन पर क्लिक करें। (x) जब तक सभी फोटो अपलोड नहीं हो जाती ऊपर दिए गए चरण को दोहराएँ।	
(ग)	एक साथ कई फोटो स्कैन करने का तरीका (i) पक्का कर लें कि सभी फोटो का साइज़ एक जैसा हो। हर उम्मीदवार के नाम के आगे दिए गए ब्राउज़ बटन पर क्लिक करें। (ii) सादे कागज़ पर बॉक्स बनाएँ में लाइन एक) 04 या 05 फोटो के लिए (, बॉक्स में फोटो चिपकाएँ और फिर उस कागज़ को स्कैन करें। (iii) अब स्कैन की गई jpg फ़ाइल को Photoshop/Paint या किसी भी इमेज एडिटिंग सॉफ़्टवेयर में खोलें।	



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

- (iv) पूरी इमेज का साइज़ बदलकर 1500×1200 पिक्सल कर दें।
- (v) इमेज सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करके स्कैन की गई इमेज से किसी एक उम्मीदवार की फोटो चुनें और उसे Ctrl + C दबाकर कॉपी करें।
- (vi) इमेज एडिटर में एक नई फ़ाइल खोलें और चुनी हुई फोटो को पेस्ट करें।
- (vii) नई फ़ाइल को फ़ोटोग्राफ़ फ़ोल्डर में jpg फ़ाइल के तौर पर सेव करें। इस फ़ाइल का नाम कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर रखें।
- (viii) शीट में मौजूद सभी फ़ोटोग्राफ़ के लिए इस चरण को दोहराएँ।
- (ix) सीबीएसई की वेबसाइट पर जाएँ और Registration/LOC पोर्टल में लॉग करें। इन-
- (x) फ़ोटो अपलोड ऑप्शन पर जाएँ
- (xi) उस कक्षा को चुनें जिसके लिए फ़ोटोग्राफ़ अपलोड करना है और सूची जनरेट करें।
- (xii) हर उम्मीदवार के नाम के आगे दिए गए ब्राउज़ बटन पर क्लिक करें।
- (xiii) फ़ोल्डर से फ़ोटोग्राफ़ चुनें और अपलोड बटन पर क्लिक करें।
- (xiv) सभी फ़ोटो अपलोड होने तक ऊपर दिए गए चरण को दोहराएँ।

नोट:-

- (क) आप फ़ोटोग्राफ़ के साथ एक चेक लिस्ट जनरेट करके यह जाँच सकते हैं कि सभी फ़ोटो सही तरीके से अपलोड हुई हैं या नहीं।
- (ख) अगर कोई सुधार करना हो, तो आप फ़ोटोग्राफ़ को दोबारा अपलोड कर सकते हैं।
- (ग) डेटा फ़ाइनल होने तक फ़ोटो बदली जा सकती है।
- (घ) फ़ाइनल होने के बाद फ़ोटो नहीं बदली जा सकती।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

अनुलग्नक-जी

अध्ययन योजना

माध्यमिक विद्यालय परीक्षा (कक्षा X) 2025-2026

कक्षा IX और X एक एकीकृत पाठ्यक्रम है। छात्र कक्षा X में केवल उन्हीं विषयों का अध्ययन करेंगे जिनका अध्ययन उन्होंने कक्षा IX में किया है। छात्रों को नीचे दिए गए अनुसार न्यूनतम 5 विषय चुनने होंगे ** -

विषय	विषयों के नाम	
अनिवार्य	विषय-1	भाषा I (समूह-एल) हिंदी - ए या हिंदी - बी या अंग्रेजी भाषा और साहित्य या अंग्रेजी (कम्यूनिकेटिव)
	विषय-2	भाषा II अनिवार्य भाषाओं के समूह (समूह-एल) में से कोई एक, जो विषय 1 में चुनी गई भाषा से अलग हो
	विषय-3	गणित स्टैंडर्ड या गणित बेसिक (समूह-ए1)
	विषय-4	विज्ञान
	विषय-5	सामाजिक विज्ञान
अतिरिक्त विषय वैकल्पिक	विषय-6	कौशल विषय (कौशल विषयों के समूह से) (समूह-एस)
	विषय-7	भाषा III (समूह-एल) / कोई भी शैक्षणिक विषय (समूह-ए2) जो ऊपर चुने गए विषयों से अलग हो
आंतरिक मूल्यांकन के विषय	विषय-8 और 9	कला शिक्षा स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा तथा कार्य अनुभव (विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन और प्रमाणन)

2026 से कक्षा X में दो बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश:

(क)	दोनों परीक्षाएं उस वर्ष के लिए निर्धारित पूरे पाठ्यक्रम पर आधारित होंगी। अध्ययन योजना और परीक्षा योजना समान रहेंगी। पहली बोर्ड परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है।
(ख)	उत्तीर्ण और पात्र सभी छात्रों को विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषाओं में से किन्हीं तीन विषयों में अपने प्रदर्शन में सुधार करने की अनुमति होगी।
(ग)	पहली परीक्षा से दूसरी परीक्षा में विषय बदलने की अनुमति नहीं होगी, सिवाय इसके कि नीति के अनुसार इसकी अनुमति हो - जैसे, गणित स्टैंडर्ड से गणित बेसिक और इसके विपरीत।
(घ)	यदि कोई छात्र पहली परीक्षा में 3 या उससे अधिक विषयों में उपस्थित नहीं हुआ है, तो उसे दूसरी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे छात्रों को 'अनिवार्य





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

	दोहराव" श्रेणी में रखा जाएगा और वे केवल अगले वर्ष फरवरी महीने में होने वाली मुख्य परीक्षाओं में ही परीक्षा दे सकेंगे।
(ड)	जिन छात्रों का पहली परीक्षा का परिणाम कंपार्टमेंट आया है, ऐसे छात्रों को कंपार्टमेंट श्रेणी के तहत दूसरी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी।
च	कक्षा X उत्तीर्ण करने के बाद अतिरिक्त विषयों की अनुमति नहीं होगी; छात्रों को केवल एक विषय (stand-alone subjects) लेने की अनुमति नहीं होगी।
छ	यदि कोई छात्र तीन अनिवार्य शैक्षणिक विषयों (अर्थात विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान में से किसी एक में अनुत्तीर्ण हो जाता है और कौशल विषय (जो छोटे वैकल्पिक विषय के रूप में लिया गया हो) में उत्तीर्ण हो जाता है, तो उस अनिवार्य विषय की जगह कौशल विषय को मान लिया जाएगा और कक्षा X की बोर्ड परीक्षा का परिणाम उसी के अनुसार तैयार किया जाएगा।
ज	यदि कोई छात्र पहले पाँच विषयों में से किसी भाषा विषय में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उस विषय की जगह सातवें विषय (वैकल्पिक) के रूप में ली गई भाषा को मान लिया जाएगा - बशर्ते कि उसने सातवें भाषा विषय में उत्तीर्ण अंक प्राप्त किए हों, और इस बदलाव के बाद भी पहले पाँच विषयों में से एक भाषा के रूप में हिन्दी या अंग्रेजी का उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
झ	यह अपेक्षा की जाती है कि सभी छात्रों ने कक्षा VIII तक तीन भाषाओं का अध्ययन किया होगा। जो छात्र कक्षा VIII में तीसरी भाषा उत्तीर्ण नहीं कर पाए और कक्षा IX में प्रमोट हो गए हैं, उनकी परीक्षा संबंधित स्कूलों द्वारा कक्षा IX के अंत में उसी पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों के आधार पर ली जाएगी, जो कक्षा VIII के लिए निर्धारित हैं। जो छात्र कक्षा IX के अंत में भी तीसरी भाषा उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं, उन्हें कक्षा X में एक और अवसर दिया जा सकता है।
ट	कक्षा X के लिए, कक्षा IX और X में अध्ययन की जाने वाली दो भाषाओं में से एक भाषा हिन्दी या English का होना अनिवार्य है। हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को एक साथ भी लिया जा सकता है। हिन्दी विषय में, छात्रों की विविध पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए कक्षा IX और X के लिए दो पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए गए हैं; छात्र या तो हिंदी ए(कोड 002) या हिन्दी बी(कोड 085) का चयन कर सकता है।
ठ	जो छात्र छोटे कौशल विषय के तौर पर कोई अतिरिक्त विषय चुनते हैं, वे 7वें विषय के तौर पर कोई अतिरिक्त भाषा III/विषय भी चुन सकते हैं।
ड	जहाँ भी सीबीएसई ने उम्मीदवारों की संख्या पर कोई रोक लगाई है, वहाँ स्कूल उम्मीदवारों की उस तय सीमा से ज्यादा संख्या नहीं रख सकता। ऐसे मामलों में, अगर जरूरत हो, तो सही प्रक्रिया अपनाकर संबद्धता यूनिट से पहले से अनुमति ली जा सकती है।
ढ	बोर्ड ने अध्ययन योजना तय की है, जो माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं के लिए http://cbseacademic.nic.in लिंक पर पाठ्यचर्या में उपलब्ध है। स्कूलों को विषय (बोर्ड की अनुमति के अधीन) केवल अध्ययन की इसी योजना के अनुसार ही पढ़ाने होंगे।
ण	बोर्ड एक अंक तालिका-सह-प्रमाण पत्र जारी करता है, जिसमें हर विषय में प्राप्त अंक अलग-अलग दिखाए जाते हैं। बोर्ड द्वारा कोई कुल स्कोर/प्रतिशत नहीं बताया जाता है।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

	जो उम्मीदवार 6/7 विषय लेते हैं और उन सभी 6/7 विषयों में पास हो जाते हैं, उनका प्रतिशत उस कॉलेज/संस्थान के नियमों के अनुसार निकाला जाएगा, जिसमें उम्मीदवार दाखिला लेना चाहता है। इस मामले में सीबीएसई की कोई भूमिका नहीं है।
त	अतीत में यह देखा गया है कि उम्मीदवार द्वारा पेश किए जाने वाले विषयों और स्कूल में पढ़ाए जाने वाले विषयों के बीच अंतर है। डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, स्कूल द्वारा प्रत्येक उम्मीदवार के लिए विषय कोड और विषय नाम की सावधानीपूर्वक जाँच की जानी चाहिए।
थ	यदि अध्ययन योजना का उल्लंघन होता है, तो अपलोड किया गया डेटा अपलोड करने के बाद सर्वर पर त्रुटि दिखाएगा। सही विषय संयोजन चुनने के बाद ही त्रुटि को ठीक किया जाएगा।

*विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अध्ययन की योजना

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 में परिभाषित दिव्यांग उम्मीदवारों के पास दो/तीन और अधिकतम दो कौशल आधारित विषयों के बजाय एक अनिवार्य भाषा का अध्ययन करने का विकल्प है समूह-एस.

विषय	विषयों के नाम	समूह
अनिवार्य	1. भाषा I (हिंदी-पाठ्यक्रम ए या पाठ्यक्रम बी या अंग्रेजी भाषा और साहित्य या अंग्रेजी कम्प्यूनिकेटिव)	समूह-एल
	2. समूह एल से एक भाषा या समूह-ए1, ए2 और समूह-एस (ऑटोमोटिव को छोड़कर)	समूह-एल/ए1/ए2 और एस (ऑटोमोटिव को छोड़कर)
	3. समूह-ए1, ए2 और समूह-एस (ऑटोमोटिव को छोड़कर) से कोई एक विषय	समूह-ए1, ए2 और एस (ऑटोमोटिव को छोड़कर)
	4. समूह-ए 1, ए 2 से कोई भी एक विषय।	समूह-ए 1, ए 2
	5. समूह-ए1, ए2 से कोई भी एक विषय	समूह-ए 1/ए 2
वैकल्पिक	6. समूह-ए1, ए2 से कोई भी एक विषय	समूह-ए 1/ए 2
	7. भाषा III (L1 और L2 के अलावा)	समूह-एल



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

अनुलग्नक-एच

विषय सूची

कक्षा-X (2025-26)

क्र.सं.	कक्षा	विषय	विषय का नाम	
भाषा (समूह-एल)				
1.	10	002	हिंदी कोर्स - ए	कोई एक
2.	10	085	हिंदी कोर्स - बी	कोई एक
3.	10	101	अंग्रेजी (कम्युनिकेटिव)	कोई एक
4.	10	184	अंग्रेजी (भाषा और साहित्य)	कोई एक
5.	10	003	उर्दू कोर्स - ए	
6.	10	303	उर्दू कोर्स -बी	
7.	10	004	पंजाबी	
8.	10	005	बंगाली	
9.	10	066	तमिल	
10.	10	007	तेलुगु	कोई एक
11.	10	089	तेलुगु-तेलंगाना	
12.	10	008	सिन्धी	
13.	10	009	मराठी	
14.	10	010	गुजराती	
15.	10	011	मणिपुरी	
16.	10	012	मलयालम	
17.	10	013	ओडिया	
18.	10	014	असमिया	
19.	10	015	कन्नड़	
20.	10	016	अरबी	
21.	10	017	तिब्बती	



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

22.	10	018	फ्रेंच	
23.	10	020	जर्मन	
24.	10	021	रूसी	
25.	10	023	फारसी	
26.	10	024	नेपाली	
27.	10	025	लिंबू	
28.	10	026	लेपचा	
29.	10	088	भोटी	
30.	10	091	कोकबोरोक	
31.	10	092	बोडो	
32.	10	093	तांगखुल	
33.	10	094	जापानी	
34.	10	095	भूटिया	
35.	10	096	स्पेनिश	
36.	10	097	कश्मीरी	
37.	10	098	मिज़ो	
38.	10	099	बहासा मेलायु	
39.	10	119	संस्कृत (संवादमूलक)	कोई एक
40.	10	122	संस्कृत	
41.	10	131	राइ	
42.	10	132	गुरुंग	
43.	10	133	तमांग	
44.	10	134	शेरपा	
45.	10	136	थाई	
अनिवार्य शैक्षणिक विषय (समूह-ए1)				
46.	10	041	गणित (स्टैण्डर्ड)	कोई एक



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

47.	10	241	गणित (बेसिक)	
48.	10	086	विज्ञान	
49.	10	087	सामाजिक विज्ञान	
अन्य शैक्षणिक विषय (समूह-ए2)				
50.	10	031	कर्नाटक संगीत (गायन)	कोई एक
51.	10	033	कर्नाटक संगीत (स्वर वाद्य)	
52.	10	034	कर्नाटक संगीत (ताल वाद्य)	
53.	10	035	हिंदुस्तानी संगीत (गायन)	
54.	10	036	हिंदुस्तानी संगीत (स्वर वाद्य)	
55.	10	049	हिंदुस्तानी संगीत (ताल वाद्य)	
56.	10	064	पेंटिंग	
57.	10	064	गृह विज्ञान	
58.	10	076	राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC)	
59.	10	154	व्यवसाय के तत्व	कोई एक
60.	10	254	बहीखाता और लेखांकन के तत्व	
61.	10	165	कंप्यूटर एप्लीकेशन	समूह-एस के 402/417 के साथ नहीं लिया जा सकता
कौशल विषय (समूह-एस)				
62.	10	401	रिटेल	
63.	10	403	सुरक्षा	
64.	10	402	सूचना प्रौद्योगिकी	कोई एक, और समूह-ए2 के 165 के साथ नहीं लिया जा सकता
65.	10	417	कृत्रिम बुद्धिमत्ता	
66.	10	404	ऑटोमोटिव	
67.	10	405	वित्तीय बाजारों का परिचय	
68.	10	406	पर्यटन का परिचय	
69.	10	407	सौंदर्य और स्वास्थ्य	
70.	10	408	कृषि	
71.	10	409	खाद्य उत्पादन	



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

72.	10	410	फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन	
73.	10	411	बैंकिंग और बीमा	
74.	10	412	विपणन और बिक्री	
75.	10	413	स्वास्थ्य देखभाल	
76.	10	414	परिधान	
77.	10	415	मल्टीमीडिया	
78.	10	416	मल्टी स्किल फाउंडेशन कोर्स	
79.	10	418	शारीरिक गतिविधि प्रशिक्षक	
80.	10	419	डेटा विज्ञान	
81.	10	420	इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर	
82.	10	421	विज्ञान के लिए आधारभूत कौशल (फार्मास्यूटिकल और जैव प्रौद्योगिकी)	
83.	10	422	डिज़ाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन	
विषयों का पूरा विवरण इस वेबलैंक पर उपलब्ध है: https://cbseacademic.nic.in/curriculum 2026.html				



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

अनुलग्नक-आई

कक्षा X के लिए विषय संयोजनों के उदाहरण
मान्य विषय संयोजन

केस 1 विषय 1: 184 अंग्रेजी भाषा और साहित्य विषय 2: 085 हिंदी कोर्स-बी विषय 3: 041 गणित विषय 4: 086 विज्ञान विषय 5: 087 सामाजिक विज्ञान विषय 6: 401 खुदरा व्यापार विषय 7: 006 तमिल	केस 4 विषय 1: 184 अंग्रेजी भाषा और साहित्य विषय 2: 002 हिंदी कोर्स-ए विषय 3: 041 गणित विषय 4: 086 विज्ञान विषय 5: 087 सामाजिक विज्ञान विषय 6: ----- विषय 7: 122 संस्कृत
केस 2 विषय 1: 002 हिंदी कोर्स-ए विषय 2: 009 मराठी विषय 3: 041 गणित विषय 4: 086 विज्ञान विषय 5: 087 सामाजिक विज्ञान विषय 6: 403 सुरक्षा विषय 7: 004 पंजाबी	केस 5 विषय 1: 184 अंग्रेजी भाषा और साहित्य विषय 2: 006 तमिल विषय 3: 041 गणित विषय 4: 086 विज्ञान विषय 5: 087 सामाजिक विज्ञान
केस 3 विषय 1: 184 अंग्रेजी भाषा और साहित्य विषय 2: 002 हिंदी कोर्स-ए विषय 3: 041 गणित विषय 4: 086 विज्ञान विषय 5: 087 सामाजिक विज्ञान	
अमान्य विषय संयोजन	
केस 1 विषय 1: 002 हिंदी कोर्स-ए विषय 2: 004 पंजाबी विषय 3: 041 गणित विषय 4: 086 विज्ञान विषय 5: 087 सामाजिक विज्ञान विषय 6: 402 सूचना प्रौद्योगिकी विषय 7: 165 कंप्यूटर अनुप्रयोग	केस 3 विषय 1: 002 हिंदी कोर्स-ए विषय 2: 021 रूसी विषय 3: 041 गणित विषय 4: 086 विज्ञान विषय 5: 087 सामाजिक विज्ञान विषय 6: 401 रिटेल विषय 7: 404 ऑटोमोटिव
केस 2 विषय 1: 018 फ्रेंच	अमान्य



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

विषय 2: 006 तमिल विषय 3: 041 गणित विषय 4: 086 विज्ञान विषय 5: 087 सामाजिक विज्ञान	
--	--

अनुलग्नक-जे

अध्ययन योजना

वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परीक्षा (कक्षा XII) 2025-2026

कक्षा XI और XII एक एकीकृत पाठ्यक्रम है। छात्र कक्षा XII में केवल उन्हीं विषयों का अध्ययन करेंगे जो उन्होंने कक्षा XI में पढ़े हैं। छात्र न्यूनतम 5 विषय निम्नानुसार पेश कर सकते हैं: -

विषय	विषयों का नाम
अनिवार्य	विषय 1
	हिंदी वैकल्पिक या हिंदी कोर या अंग्रेजी वैकल्पिक या अंग्रेजी कोर
	विषय 2
	ग्रुप - एल से कोई भी एक भाषा जो विषय 1 के रूप में नहीं चुनी गई है या ग्रुप - ए से कोई भी एक वैकल्पिक
	विषय 3
	ग्रुप - ए या ग्रुप-एस से कोई भी वैकल्पिक
	विषय 4
	ग्रुप - ए या ग्रुप-एस से कोई भी वैकल्पिक
	विषय 5
	ग्रुप - ए से कोई भी वैकल्पिक
अतिरिक्त विषय वैकल्पिक	विषय 6
	ग्रुप ए या एल से कोई भी एक वैकल्पिक या भाषा
आंतरिक मूल्यांकन के विषय	विषय 7 से 9 (सभी नियमित उम्मीदवारों द्वारा लिया जाना है)
	स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, कार्य अनुभव, सामान्य अध्ययन



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

महत्वपूर्ण निर्देश: -	
(क)	कक्षा XI और XII में पढ़े जाने वाले दो विषयों में से एक विषय हिंदी या अंग्रेजी होना अनिवार्य है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषयों को एक साथ भी चुना जा सकता है। कक्षा XI और XII के लिए हिंदी और अंग्रेजी, दोनों विषयों में दो-दो कोर्स उपलब्ध हैं। छात्रों की अलग-अलग पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, कोई भी छात्र हिंदी इलेक्टिव (कोड 002) या हिंदी कोर (कोड 302), तथा अंग्रेजी इलेक्टिव (कोड 01) या अंग्रेजी कोर (कोड 301) में से किसी एक का चयन कर सकता है। तथापि, एक ही भाषा को 'कोर' और 'इलेक्टिव'—दोनों स्तरों पर नहीं चुना जा सकता है।
(ख)	ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली/अंक-तालिका में विषयों को भरने के क्रम में, शुरू के 5 विषयों को ही 'मुख्य विषय' माना जाता है।
(ग)	यदि किसी छात्र ने 6 विषय लिए हैं, और वह शुरू के पाँच विषयों में से किसी एक में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उस विषय की जगह 6वें विषय को शामिल कर लिया जाएगा; बशर्ते कि छात्र 'अध्ययन योजना' की शर्तों को पूरा करता हो—अर्थात्, 6वें विषय को शामिल करने के बाद भी, मुख्य पाँच विषयों में से एक विषय के रूप में हिंदी या अंग्रेजी अनिवार्य रूप से बना रहे।
(घ)	जिन छात्रों ने 6 विषय (5 मुख्य और 1 अतिरिक्त विषय) लिए हैं और वे सभी 6 विषयों में उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो उनके अंकों का प्रतिशत उनकी आवश्यकता/नियमों के अनुसार, उस नियोक्ता/संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा ही निकाला जाएगा—जहाँ वे छात्र प्रवेश या रोज़गार के लिए आवेदन कर रहे हैं। सीबीएसई अंकों का प्रतिशत न तो निकालता है और न ही उपलब्ध कराता है। इस संबंध में सीबीएसई की कोई भूमिका नहीं है।
ङ	स्कूल द्वारा छात्रों को केवल वही विषय उपलब्ध कराए जा सकते हैं, जिनके लिए सीबीएसई से अनुमोदन प्राप्त किया गया हो।
च	बोर्ड ने एक 'अध्ययन योजना' निर्धारित की है, जो माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम (Curriculum) में, इस लिंक— http://cbseacademic.nic.in पर उपलब्ध है। स्कूलों के लिए यह अनिवार्य है कि वे विषयों को (बोर्ड की अनुमति के अधीन) केवल इसी 'अध्ययन योजना' के अनुरूप ही उपलब्ध कराएँ।
छ	सीबीएसई में 'स्ट्रीम' की कोई अवधारणा नहीं है। छात्र ऊपर बताई गई योजना के अनुसार, पाठ्यक्रम में सूचीबद्ध और संबंधित स्कूल में उपलब्ध विषयों में से किन्हीं 5 या 6 विषयों का चयन कर सकते हैं। स्कूल अपने प्रबंधन द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार छात्रों को प्रवेश देते हैं।

*सीडब्ल्यूएसएन उम्मीदवारों के लिए रियायतों हेतु, कृपया रूपरेखा और महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों का संदर्भ लें।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

अनुलग्नक-के

विषय सूची

कक्षा-X (2025-26)

भाषा (समूह-एल)				
क्र.सं.	कक्षा	विषय	विषय का नाम	
1.	12	001	अंग्रेजी वैकल्पिक	कोई एक
2.	12	301	अंग्रेजी कोर	
3.	12	002	हिंदी ऐच्छिक	कोई एक
4.	12	302	हिंदी कोर	
5.	12	003	उर्दू वैकल्पिक	कोई एक
6.	12	303	उर्दू कोर	
7.	12	022	संस्कृत ऐच्छिक	कोई एक
8.	12	322	संस्कृत कोर	
9.	12	104	पंजाबी	
10.	12	105	बंगाली	
11.	12	106	106 तमिल	
12.	12	107	तेलुगु	कोई एक
13.	12	189	तेलुगु तेलंगाना	
14.	12	108	सिंधी	
15.	12	109	मराठी	
16.	12	110	गुजराती	
17.	12	111	मणिपुरी	
18.	12	112	मलयालम	
19.	12	113	ओडिया	
20.	12	114	असमिया	
21.	12	115	कन्नड	
22.	12	116	अरबी	
23.	12	117	तिब्बती	
24.	12	118	फ्रेंच	
25.	12	120	जर्मन	





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

26.	12	121	रूसी	
27.	12	123	फारसी	
28.	12	124	नेपाली	
29.	12	125	लिम्बू	
30.	12	126	लेप्चा	
31.	12	188	भोटी	
32.	12	191	कोकबोरोक	
33.	12	192	बोडो	
34.	12	193	तंगखुल	
35.	12	194	जापानी	
36.	12	195	भूटिया	
37.	12	196	स्पेनिश	
38.	12	197	कश्मीरी	
39.	12	198	मिज़ो	
शैक्षणिक वैकल्पिक (ग्रुप-ए)				
40.	12	027	इतिहास	
41.	12	28	राजनीति विज्ञान	
42.	12	029	भूगोल	
43.	12	030	अर्थशास्त्र	
44.	12	031	कर्नाटक संगीत (गायन)	कोई एक
45.	12	032	कर्नाटक संगीत (सुर वाद्य)	
46.	12	033	कर्नाटक संगीत (ताल वाद्य - मृदंगम)	
47.	12	034	हिंदुस्तानी संगीत (गायन)	
48.	12	035	हिंदुस्तानी संगीत (सुर वाद्य)	
49.	12	036	हिंदुस्तानी संगीत (ताल वाद्य)	
50.	12	037	मनोविज्ञान	
51.	12	039	समाजशास्त्र	
52.	12	041	गणित	कोई एक
53.	12	241	अनुप्रयुक्त गणित	





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

54.	12	042	भौतिक विज्ञान	
55.	12	043	रसायन विज्ञान	
56.	12	044	जीव विज्ञान	
57.	12	045	जैव प्रौद्योगिकी	
58.	12	046	इंजीनियरिंग ग्राफिक्स	
59.	12	048	शारीरिक शिक्षा	
60.	12	049	पेंटिंग	कोई एक
61.	12	050	ग्राफिक्स	
62.	12	051	मूर्तिकला	
63.	12	052	एप/व्यावसायिक कला	
64.	12	054	व्यावसायिक अध्ययन	ग्रुप-एस के 833 के साथ पेश नहीं किया जा सकता
65.	12	055	लेखाशास्त्र	
66.	12	056	कथक- नृत्य	कथक- नृत्य
67.	12	057	भरतनाट्यम - नृत्य	
68.	12	058	कुचिपुडी - नृत्य	
69.	12	059	ओडिसी - नृत्य	
70.	12	060	मणिपुरी - नृत्य	
71.	12	061	कथकली- नृत्य	
72.	12	064	गृह विज्ञान	
73.	12	065	इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस	कोई भी और ग्रुप-एस के 802 के साथ पेश नहीं किया जा सकता
74.	12	083	कंप्यूटर विज्ञान	
75.	12	066	उद्यमिता	
76.	12	073	भारत की ज्ञान परंपरा और प्रथाएं	
77.	12	074	विधिक अध्ययन	
78.	12	076	राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC)	
कौशल वैकल्पिक विषय (समूह-एस)				
79.	12	801	रिटेल	





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

80.	12	802	सूचना प्रौद्योगिकी	ग्रुप-ए के 065/ 083 के साथ नहीं लिया जा सकता
81.	12	803	वेब एप्लीकेशन	
82.	12	804	ऑटोमोटिव	
83.	12	805	वित्तीय बाज़ार प्रबंधन	
84.	12	806	पर्यटन	
85.	12	807	सौंदर्य और स्वास्थ्य	
86.	12	808	कृषि	
87.	12	809	खाद्य उत्पादन	
88.	12	810	फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन्स	
89.	12	811	बैंकिंग	
90.	12	812	विपणन	
91.	12	813	स्वास्थ्य देखभाल	
92.	12	814	बीमा	
93.	12	816	बागवानी	
94.	12	817	टाइपोग्राफी और कंप्यूटर एप्लीकेशन	
95.	12	818	भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी	
96.	12	819	विद्युत प्रौद्योगिकी	
97.	12	820	एलेक्ट्रॉनिक टेक्नालजी	
98.	12	821	मल्टीमीडिया	
99.	12	822	कराधान	
100.	12	823	लागत लेखांकन	
101.	12	824	कार्यालय प्रक्रियाएं और कार्यप्रणाली	
102.	12	825	आशुलिपि (अंग्रेजी)	
103.	12	826	आशुलिपि (हिंदी)	
104.	12	827	एयर-कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन	
105.	12	828	चिकित्सा निदान	
106.	12	829	वस्त्र डिज़ाइन	



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

107.	12	830	डिज़ाइन	
108.	12	831	विक्रय कला	
109.	12	833	व्यवसाय प्रशासन	ग्रुप-ए के 054 के साथ नहीं लिया जा सकता
110.	12	834	खाद्य पोषण और आहार विज्ञान	
111.	12	835	मास मीडिया अध्ययन	
112.	12	836	पुस्तकालय और सूचना विज्ञान	
113.	12	837	फैशन स्टडीज़	
114.	12	841	योग	
115.	12	842	प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा	
116.	12	843	कृत्रिम बुद्धिमत्ता	
117.	12	844	डेटा विज्ञान	
118.	12	845	शारीरिक गतिविधि प्रशिक्षक	
119.	12	846	लैंड ट्रांसपोर्ट एसोशिएट	
120.	12	847	इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर	
121.	12	848	डिज़ाइन थिंकिंग और इनोवेशन	

विषयों के बारे में विवरण इस वेबलैंक पर उपलब्ध है:

<https://cbseacademic.nic.in/curriculum 2026.html>

अनुलग्नक-एल

कक्षा XII के लिए विषय संयोजन के उदाहरण

मान्य विषय संयोजन

केस 1 विषय 1: 301 अंग्रेजी कोर विषय 2: 041 गणित विषय 3: 042 भौतिकी विषय 4: 043 रसायन विज्ञान विषय 5: 048 शारीरिक शिक्षा	केस 5 विषय 1: 301 अंग्रेजी कोर विषय 2: 302 हिंदी कोर विषय 3: 042 भौतिकी विषय 4: 043 रसायन विज्ञान विषय 5: 041 गणित
केस 2 विषय 1: 301 अंग्रेजी कोर विषय 2: 048 शारीरिक शिक्षा विषय 3: 042 भौतिकी विषय 4: 043 रसायन विज्ञान विषय 5: 044 जीव विज्ञान	केस 6 विषय 1: 301 अंग्रेजी कोर विषय 2: 055 लेखांकन विषय 3: 054 व्यवसाय अध्ययन विषय 4: 030 अर्थशास्त्र विषय 5: 302 हिंदी कोर



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

केस 3 विषय 1: 301 अंग्रेजी कोर विषय 2: 302 हिंदी कोर विषय 3: 027 इतिहास विषय 4: 029 भूगोल विषय 5: 028 राजनीति विज्ञान विषय 6: 039 समाजशास्त्र	केस 7 विषय 1: 301 अंग्रेजी कोर विषय 2: 055 लेखांकन विषय 3: 054 व्यवसाय अध्ययन विषय 4: 041 गणित विषय 5: 030 अर्थशास्त्र
केस 4 विषय 1: 301 अंग्रेजी कोर विषय 2: 041 गणित विषय 3: 042 भौतिकी विषय 4: 043 रसायन विज्ञान विषय 5: 083 कंप्यूटर साइंस	केस 8 विषय 1: 301 अंग्रेजी कोर विषय 2: 055 लेखांकन विषय 3: 054 व्यवसाय अध्ययन विषय 4: 030 अर्थशास्त्र विषय 5: 065 इन्फार्मेटिक्स प्रैक्टिस
अमान्य विषय संयोजन	
केस 1 विषय 1: 301 अंग्रेजी कोर विषय 2: 042 भौतिकी विषय 3: 043 रसायन विज्ञान विषय 4: 065 इन्फार्मेटिक्स प्रैक्टिस विषय 5: 083 कंप्यूटर साइंस	केस 2 विषय 1: 301 अंग्रेजी कोर विषय 2: 041 गणित विषय 3: 042 भौतिकी विषय 4: 049 पेंटिंग विषय 5: 050 ग्राफिक्स
केस 3 विषय 1: 322 संस्कृत विषय 2: 104 हिंदी कोर विषय 3: 027 इतिहास विषय 4: 029 भूगोल विषय 5: 028 राजनीति विज्ञान विषय 6: 039 समाजशास्त्र	केस 4 विषय 1: 104 हिंदी कोर विषय 2: 002 हिंदी वैकल्पिक विषय 3: 041 गणित विषय 4: 042 भौतिकी विषय 5: 043 रसायन विज्ञान
केस 5 विषय 1: 104 हिंदी कोर विषय 2: 812 विपणन विषय 3: 816 बागवानी विषय 4: 830 डिजाइन विषय 5: 837 फैशन स्टडीज	

* सीडब्ल्यूएसएन उम्मीदवारों को रियायतों के लिए, कृपया रूपरेखा और महत्वपूर्ण दिशानिर्देश देखें



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

अनुलग्नक-एम

बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों का क्षेत्राधिकार

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/क्षेत्र शामिल
1.	अजमेर	गुजरात और राजस्थान
2.	भुवनेश्वर	ओडिशा और पश्चिम बंगाल
3.	चंडीगढ़	पंजाब, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख
4.	दिल्ली पूर्व	पूर्वी दिल्ली, दक्षिण पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, शाहदरा
5.	पुणे	महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली
6.	गुवाहाटी	असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम
7.	पंचकुला	अंबाला, फतेहाबाद, हिसार, जिंद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, सिरसा और यमुनानगर और हिमाचल प्रदेश
8.	बेंगलुरु	कर्नाटक
9.	भोपाल	मध्य प्रदेश
10.	चेन्नई	तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
11.	नोएडा	आगरा, अलीगढ़, अमरोहा, बागपत, बदायूँ, बुलन्दशहर, एटा, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड, हाथरस, कासगंज/काशी राम नगर, मथुरा, मेरठ और संभल
12.	पटना	बिहार
13.	प्रयागराज	अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, बलिया, बस्ती, भदोही, चंदौली, चित्रकुट, देवरिया, गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, कौशांबी, कुशी नगर, महाराजगंज, मऊ, मीरजापुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, वाराणसी
14.	त्रिवेन्द्र	केरल और लक्षद्वीप
15.	देहरादून	उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जिले - बरेली, बिजनौर, मोरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर, सहारनपुर और शामली
16.	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

17.	दिल्ली - पश्चिम	पश्चिमी दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली, उत्तरी दिल्ली और मध्य दिल्ली
18.	गुरुग्राम	भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, महेन्द्रगढ़, नूंह, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सोनीपत और पलवल
19.	लखनऊ	अमेठी, औरैया, अयोध्या, बहराइच, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गोंडा, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, झाँसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, मोहवा, मैनपुरी, पीलीभीत, रायबरेली, शाहजहांपुर, श्रावती, सीतापुर, उन्नाव
20.	रायपुर	छत्तीसगढ़
21.	रांची	झारखंड